मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग

जल जीवन मिशन
(हर घर जल)

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2021-22

माननीय केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री जी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ
जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ''हर घर जल ग्राम'' के
ग्रामवासियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का जनसंवाद

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ''हर घर जल ग्राम'' के
ग्रामवासियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का जनसंवाद

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2021-22

अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
	भाग — एक	
●	प्रस्तावना	3
●	विभागीय संरचना–स्थापना संबंधी विवरण	3
●	विभागीय उद्देश्य एवं कार्य	4
	भाग — दो	
●	बजट विहंगावलोकन	5
●	जेण्डर रिस्पोंसिव बजट का क्रियान्वयन	6
	भाग — तीन	
●	केन्द्र एवं राज्य पोषित योजनाएं	7
●	जल जीवन मिशन	8
●	गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में कार्य	16
●	भू–जल संवर्धन एवं पुनर्भरण	20
●	आदिवासी उपयोजना	26
●	आदिवासी बाहुल्य बसाहटों में 275 (1) एवं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पी.व्ही.टी.जी.) मद के कार्य	26
●	अनुसूचित जाति उपयोजना	26
●	स्थापित हैण्डपम्प एवं नलजल योजनाएं	26
●	लोक सेवा गारंटी	27
●	विद्युत यांत्रिकी संकाय द्वारा संपादित किए जा रहे कार्यों का विवरण	27
●	कार्यनीति एवं क्रियान्वयन (सहायक गतिविधियाँ)	30
●	प्रशिक्षण कार्यक्रम	45
●	विभागीय कम्प्यूटरीकरण	45
●	नगरीय पेयजल कार्यक्रम	46
	भाग — चार	
●	मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित	49
	भाग — पॉच	
●	सामान्य प्रशासनिक विषय	56
●	सूचना का अधिकार	57
●	वर्ष 2021–22 में विधान सभा प्रश्नों आदि से संबंधित कार्यों का विवरण	58
	भाग — छः	
●	विभागीय प्रकाशन से संबंधित जानकारी	59
	भाग — सात	
●	सारांश	59

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यॉंत्रिकी विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2021–22

मंत्री

माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान

राज्य मंत्री

माननीय श्री बृजेन्द्र सिंह यादव

मंत्रालय

अपर मुख्य सचिव	▸	श्री मलय श्रीवास्तव (आई.ए.एस.)
उप सचिव	▸	श्री राकेश कुशरे
उप सचिव	▸	श्री राजेश शाक्यवार
अवर सचिव	▸	श्रीमती शिखा पोरस नरवाल
अवर सचिव	▸	श्री दिलीप कुमार जैन

विभागाध्यक्ष

प्रमुख अभियंता	▸	श्री के. के. सोनगरिया
प्रमुख अभियंता (सलाहकार)	▸	श्री सी. एस. संकुले
निदेशक, कार्यनीति एवं क्रियान्वयन	▸	रिक्त
मुख्य अभियंता (भोपाल परिक्षेत्र)	▸	श्री एच. एस. गोंड
मुख्य अभियंता (इंदौर परिक्षेत्र)	▸	श्री व्ही. एस. सोलंकी
मुख्य अभियंता (ग्वालियर परिक्षेत्र)	▸	श्री पी.के. मैदमवार
मुख्य अभियंता (जबलपुर परिक्षेत्र)	▸	श्री सी. के. सिंह
मुख्य अभियंता (वि./यां.) भोपाल	▸	श्री अशोक बघेल

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

प्रबंध संचालक	▸	श्री तेजस्वी एस. नायक (आई.ए.एस.)
परियोजना निदेशक	▸	श्री सी.एस. संकुले

1. भाग – एक

1.1 प्रस्तावना :–

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित नीति / मापदण्डों के अनुसार पर्याप्त मात्रा एवं गुणवत्ता युक्त पेयजल प्रदाय सुनिश्चित करने हेतु पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, साथ ही समूह योजनाओं के माध्यम से शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्र की दीर्घकालिक पेयजल व्यवस्था के अन्तर्गत बल्क वाटर उपलब्ध कराया जाता है।

1.2 विभागीय संरचना :–

- **शासन स्तरीय :–**

  लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय में वर्तमान में अपर मुख्य सचिव, दो उप सचिव, तथा दो अवर सचिव कार्यरत हैं।

- **विभाग स्तरीय :–**

  विभाग में विभिन्न स्तर के अभियंताओं के स्वीकृत पदों की जानकारी निम्नानुसार है :–

  - प्रमुख अभियंता – 01 पद
  - प्रमुख अभियंता (सलाहकार) – 01 पद
  - मुख्य अभियन्ता (सिविल) – 04 पद
  - निदेशक, कार्यनीति एवं क्रियान्वयन – 01 पद
  - मुख्य अभियन्ता (वि. / यां.) – 01 पद
  - अधीक्षण यन्त्री (सिविल) – 24 पद
  - अधीक्षण यन्त्री (वि. / यां.) – 05 पद
  - कार्यपालन यन्त्री (सिविल) – 74 पद
  - कार्यपालन यन्त्री (वि. / यां.) – 11 पद
  - सहायक यन्त्री (सिविल) – 241 पद
  - सहायक यन्त्री (वि. / यां.) – 62 पद
  - उपयन्त्री (सिविल) – 974 पद
  - उपयन्त्री (वि. / यां.) – 263 पद

➢ प्रदेश में विभाग के विभिन्न कार्यालयों की स्थिति

- **कार्यालय प्रमुख अभियंता :–**

  कार्यालय प्रमुख अभियंता भोपाल में स्थित है, जिसमें विभागाध्यक्ष के रूप में प्रमुख अभियंता पदस्थ हैं। इसी कार्यालय में प्रमुख अभियन्ता (सलाहकार), तथा निदेशक, कार्यनीति एवं क्रियान्वयन का एक–एक पद स्वीकृत है।

- **परिक्षेत्र कार्यालय :–**

  विभाग की मैदानी स्थापना पांच परिक्षेत्रों में विभाजित है जिनमें चार सिविल कार्यों एवं एक विद्युत/यांत्रिक कार्यों से संबंधित है। मुख्य अभियंता, परिक्षेत्र कार्यालय के प्रमुख हैं। सिविल परिक्षेत्र कार्यालय क्रमशः भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर तथा विद्युत/यांत्रिकी परिक्षेत्र कार्यालय भोपाल में स्थित हैं। परिक्षेत्र भोपाल के अंतर्गत भोपाल एवं नर्मदापुरम राजस्व संभाग, इंदौर परिक्षेत्र के अंतर्गत इंदौर एवं उज्जैन राजस्व संभाग, ग्वालियर परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्वालियर, चंबल तथा सागर राजस्व संभाग एवं जबलपुर परिक्षेत्र के अतंर्गत जबलपुर, रीवा एवं शहडोल राजस्व संभाग सम्मिलित है। सिविल संकाय के मुख्य अभियंताओं के अधीन ठेकेदारों के माध्यम से नलकूप खनन, नल जल योजनाओं सहित अन्य सिविल कार्यों का क्रियान्वयन कराया जाता है। विद्युत यांत्रिकी संकाय के मुख्य अभियंता के अधीन प्रदेश में समस्त विभागीय ड्रिलिंग मशीनों से नलकूप खनन तथा मशीनों के रखरखाव के कार्य किये जाते हैं।

- **मंडल कार्यालय :–**

  प्रदेश में संभाग स्तर पर 10 संभाग मुख्यालय सहित 13 स्थानों क्रमशः भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, चम्बल, पन्ना, खरगोन एवं परियोजना मण्डल छिन्दवाड़ा में मंडल कार्यालय स्थापित हैं जिनके माध्यम से विभिन्न योजनाओं के कार्य सम्पादित किये जाते हैं। इन मण्डल कार्यालयों द्वारा अधीनस्थ खंडों एवं उपखंडों पर प्रशासकीय नियंत्रण रखा जाता है। प्रत्येक मंडल कार्यालय के प्रमुख अधीक्षण यंत्री हैं।

- **खंड कार्यालय :–**

  प्रदेश के सभी 52 जिलों में 55 सिविल खंड एवं 07 विद्युत यांत्रिकी खण्ड क्रमशः भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सागर एवं रीवा में स्थापित है। इसके अतिरिक्त 04 परियोजना खण्ड, 07 संधारण खण्ड, एवं 01 गुणवता नियंत्रण इकाई खण्ड कार्यालय स्थापित हैं।

  प्रदेश में सिविल संकाय के 204 एवं विद्युत यांत्रिकी संकाय के 47 उपखण्ड कार्यालय स्थापित हैं। प्रत्येक उपखंड कार्यालय के प्रमुख सहायक यंत्री हैं।

1.3 विभागीय उद्देश्य एवं कार्य :–

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के उद्देश्य एवं किये जाने वाले कार्य का विवरण निम्नानुसार है :–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित एवं निर्धारित मात्रा में राज्य शासन की नीति एवं निर्देशों के अनुरूप पेयजल प्रदाय हेतु नलजल योजनाओं का सर्वेक्षण, अन्वेषण एवं क्रियान्वयन।
2. हैंडपंप स्थापना एवं उनके संधारण का कार्य।
3. पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल प्रदाय हेतु योजनाओं का क्रियान्वयन।
4. जल प्रदाय योजनाओं के स्त्रोतों के स्थायित्व हेतु भू–जल पुनर्भरण एवं संवर्धन योजनाओं तथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग योजनाओं का क्रियान्वयन।
5. पेयजल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता की निगरानी एवं अनुश्रवण।
6. सहायक गतिविधियों का क्रियान्वयन।
7. जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम का क्रियान्वयन।
8. नगरीय निकायों सहित अन्य संस्थानों द्वारा चाहे जाने पर जल प्रदाय एवं मल जल निकासी योजनाओं का सर्वेक्षण, अन्वेषण, योजना प्रतिवेदन तैयार कर योजनाओं का क्रियान्वयन।

2. भाग – दो

2.1 बजट विहंगावलोकन :–

विगत 03 वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एवं राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंर्तगत प्रावधानित राशि एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में 31.12.2021 तक व्यय की जानकारी निम्नानुसार है :–

(रुपये करोड़ में)

क्र.	विवरण		वित्तीय वर्ष					
			2019–20		2020–21		2021–22	
			प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय
	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/ जे.जे.एम.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	738.81	612.66	0.00	0.00	0.00	0.00
		जल जीवन मिशन/जे.जे.एम.	0.00	0.00	1892.50	1891.22	6124.40	2835.70
		जल निगम	-	-	-	-	-	-
		योग	**738.81**	**612.66**	**1892.50**	**1891.22**	**6124.40**	**2835.70**
2.	राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	विभाग	1227.14	346.08	366.38	316.38	421.18	240.94
		जल निगम	1463.00	1441.29	1858.15	1824.84	1566.18	454.06
		योग	**2690.14**	**1787.37**	**2224.53**	**2141.22**	**1987.36**	**695.00**
3.	अन्य कार्यक्रम /मद	विभाग	937.13	858.73	792.89	723.44	846.88	625.44
		जल निगम	-	-	-	-	-	-
		योग	**937.13**	**858.73**	**792.89**	**723.44**	**846.88**	**625.44**
		महायोग	**4366.08**	**3258.76**	**4909.92**	**4755.88**	**8958.64**	**4156.14**

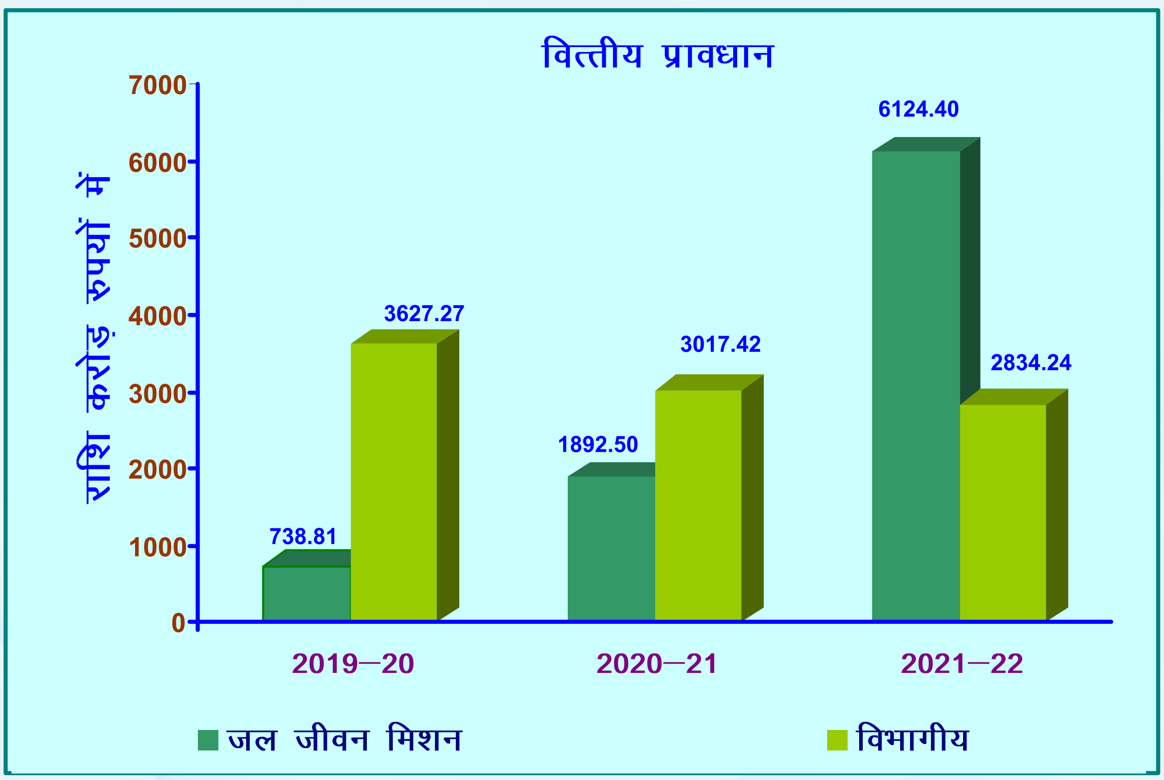

भारत सरकार के जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि का वित्तीय ढांचा मुख्य रूप से 50:50 (केन्द्रांशःराज्यांश) के अनुपात में होता है, जबकि राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा शत–प्रतिशत वित्त पोषित है।

2.2 "जेण्डर रिस्पोंसिव" बजट का क्रियान्वयन :–

वित्त विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं में महिलाओं की सशक्त भागीदारी एवं पेयजल की योजनाओं से महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने में जेण्डर समानता की समीक्षा एवं निगरानी हेतु प्रमुख अभियन्ता कार्यालय स्तर पर **"जेण्डर बजटिंग सेल"** का गठन किया है। विभाग के कार्यों एवं दृष्टिकोण के सम्बन्ध में विचार विमर्श कर क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं में महिलाओं की सशक्त भागीदारी एवं पेयजल की योजनाओं से महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, इस संबंध में सेल द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है। जल जीवन मिशन के प्रारम्भ होने के उपरान्त महिलाओं व बालिकाओं को विशेष लाभ प्राप्त हो रहा है। **इस हेतु अलग से बजट प्रावधान नही किया जाता है बल्कि योजनाओं में किए गए वित्तीय प्रावधानों से क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यों से महिलाएं व बालिकाएं लाभान्वित होती हैं।**

3. भाग – तीन

3.1 केन्द्र एवं राज्य पोषित योजनाएं :–

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 से प्रारम्भ किये गये राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित नीति एवं निर्देशों के अनुरूप विभाग द्वारा ग्रामीण पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा था। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 अगस्त 2019 के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण के दौरान **"जल जीवन मिशन"** की घोषणा की। भारत सरकार द्वारा जल शक्ति मंत्रालय के गठन के उपरान्त पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जल जीवन मिशन दिसम्बर 2019 में प्रारम्भ किया गया है। मिशन के माध्यम से भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना लक्षित किया गया है। मध्यप्रदेश में वर्ष 2020 से जीवन मिशन प्रारम्भ किया गया है तथा अधिकांश ग्रामों में जल की उपलब्धता के आधार पर कार्य 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

3.1.1 ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम :–

भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन हेतु प्रचालन दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। दिशा–निर्देशों में प्रावधानों के अनुसार प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में जलप्रदाय योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं तथा तथा ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय ढॉचे का अनुपात 50:50 (केन्द्रांश:राज्यांश) निर्धारित है।

राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार हैण्डपम्प योजनाओं एवं नलजल प्रदाय योजनाओं हेतु 55 ली. प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित है। घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल प्रदाय व्यवस्था की स्थिति निम्नानुसार है :–

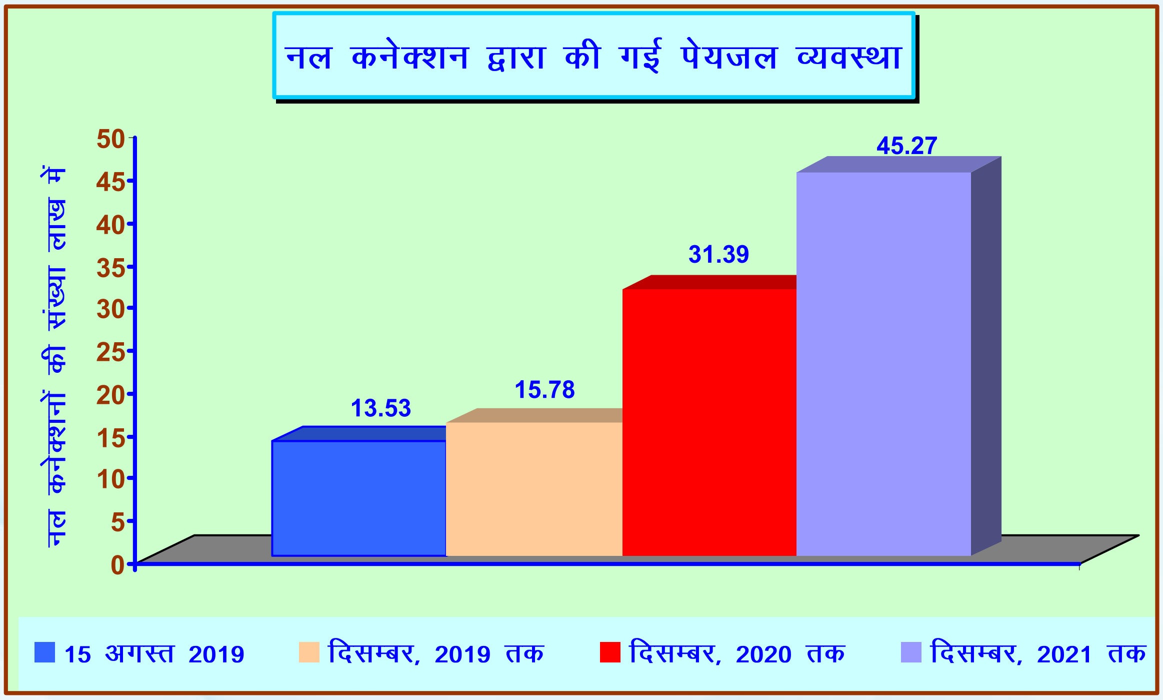

प्रदेश की अधिकांश ग्रामीण जलप्रदाय योजनाएं भू–गर्भीय जल स्त्रोतों (मुख्यतः नलकूपों) पर आधारित हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा अधिकाधिक मात्रा में नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन कर घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से ग्रामीण आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल प्रदाय के आच्छादन को बढ़ाया जा सके।

3.1.2 जल जीवन मिशन :–

उद्देश्य

जल जीवन मिशन मिशन के व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित है:

1. प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना।
2. गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, सूखाग्रस्त और रेगिस्तानी क्षेत्रों में स्थित गांवों, सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाई.) में शामिल गांवों आदि में एफ.एच.टी.सी. के प्रावधान को प्राथमिकता देना।
3. स्कूलों, आंगनवाड़ी केन्द्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केन्द्रों, अरोग्यता केन्द्रों और सामुदायिक भवनों में कार्यशील नल कनेक्शन उपलब्ध कराना।
4. नल कनेक्शनों की कार्यशीलता की निगरानी करना।
5. नकद, वस्तु और/अथवा मेहनत तथा स्वैच्छिक श्रमदान के द्वारा स्थानीय समुदाय में स्वैच्छिक अपनत्व को बढ़ावा देना और उसे सुनिश्चित करना।
6. जल आपूर्ति प्रणाली अर्थात् जल स्त्रोत, जल आपूर्ति अवसंरचना और नियमित प्रचालन एवं रख–रखाव हेतु निधियों का स्थायित्व सुनिश्चित करने में सहायता देना।
7. इस सेक्टर में मानव संसाधनों का सशक्तीकरण और उनका विकास करना ताकि निर्माण कार्य, प्लंबिंग, बिजली, जल गुणवत्ता प्रबंधन, जल शोधन, जलागत संरक्षण, प्रचालन एवं रख–रखाव आदि से जुड़ी मांग को, अल्पकाल और दीर्घकाल में पूरा किया जा सके।
8. सुरक्षित पेयजल के विभिन्न पक्षों और महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और हितधारकों को इस प्रकार भागीदार बनाना कि जल, हर किसी का सरोकार बन सके।

3.1.3 जल जीवन मिशन के घटक :–

जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित घटक सम्मिलित किए गए हैं :–

1. प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नलजल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए अंतः ग्राम पाइपलाइन जल आपूर्ति अवसंरचना का विकास करना।
2. जल आपूर्ति प्रणाली को दीर्घकालीन स्थायित्व उपलब्ध कराने के लिए विश्वसनीय पेयजल स्त्रोतों का विकास और/अथवा मौजूदा स्त्रोतों की क्षमता को बढ़ाना।
3. जहां आवश्यक हो, वहां प्रत्येक ग्रामीण परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए थोक (बल्क) वॉटर ट्रांसफर, शोधन संयंत्र और वितरण नेटवर्क स्थापित करना।
4. जहां जल गुणवत्ता की समस्या हो, वहां संदूषणों के निवारण हेतु तकनीकी विधियों का प्रयोग करना।
5. 55 एल.पी.सी.डी. के न्यूनतम सेवा स्तर पर एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने की दृष्टि से, पहले ही पूरी हो चुकी और चालू स्कीमों की रेट्रोफिटिंग करना।
6. गंदले जल का प्रबंधन।
7. सहायक गतिविधियां जैसे आई.ई.सी., एच.आर.डी., प्रशिक्षण, सार्वजनिक सुविधाओं का विकास, जल गुणवत्ता प्रयोगशालाएं, जल गुणवत्ता परीक्षण और निगरानी, अनुसंधान और विकास, ज्ञान केन्द्र, समुदायों का क्षमता निर्माण आदि।

8. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की फ्लेक्सी निधि से जुड़े दिशा–निर्देशों के अनुसार, प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना के कारण उभरने वाली किन्हीं ऐसी अनदेखी चुनौतियों से निपटना, जिनसे वर्ष 2024 तक अधिकांश परिवारों को जल की उपलब्धता के आधार पर एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्रभावित होता हो।

9. न्यूनतम 20 घरों या 100 व्यक्तियों का समूह। तथापि, इससे कम संख्या वाले पहाड़ी/आदिवासी और वन क्षेत्रों तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल बसाहटों को भी सम्मिलित किया जाना है।

3.1.4 जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन :–

'जल जीवन मिशन' सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसका लक्ष्य सभी घरों तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि स्थानीय जल संसाधनों के सर्वागीण प्रबंधन को बढ़ावा देना भी है। इस जल आपूर्ति कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते समय जल–स्त्रोतों का संरक्षण करके उन्हें सतत बनाने और जल के पुनः उपयोग की विधियों का प्रयोग करने जैसे उपायों की जरूरत पर ध्यान दिया गया है और इन्हें पहली बार योजना की रूप–रेखा का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त, 2019 को लाल किले की प्राचीर से 'जल' को देश की विकास–कार्यसूची के केन्द्र में स्थापित कर दिया है। उन्होंने ग्रामीण भारत में महिलाओं और बेटियों द्वारा प्रतिदिन मीलों पैदल चलकर पीने योग्य थोड़ा बहुत जल ढोकर लाने की शताब्दियों पुरानी प्रथा को दूर करने पर बल दिया। इस चुनौती को हल करने के लिये उन्होंने जल जीवन मिशन की घोषणा की।

जल एक बुनियादी आवश्यकता है। पेयजल की सुनिश्चित उपलब्धता की कमी का प्रतिकूल प्रभाव, परिवारों और स्थानीय समुदायों दोनों पर पड़ता है। घर में पेयजल की सुविधा न होने पर लोगों, विशेषकर महिलाओं और बेटियों को दूर–दूर से अपने घरों के लिए पानी लाने के लिए जाना पड़ता है और अपना समय व ऊर्जा नष्ट करने पर मजबूर होना पड़ता है। जल संकट की स्थिति में, सरकार/प्रशासन टैंकर, रेल मार्ग आदि के माध्यम से जल उपलब्ध कराने के लिए तात्कालिक उपाय करते हैं। इस सरकार ने जन–सामान्य के जीवन को आसान बनाने के लिए अनेंक उपाय किए है, इसलिए लोगों की अब यह स्वाभाविक अपेक्षा है कि सरकार उनके घरों में नल से जल पहुंचाएगी।

जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं है, वहां जल अंतरण, जल–शोधन तथा जल–वितरण की योजना बनानी होगी। जल आपूर्ति प्रणाली की योजना बनाते समय प्रचालन एवं रख–रखाव के पहलू पर सर्वाधिक ध्यान देना होगा। यह महत्वपूर्ण है कि जल आपूर्ति स्कीमों अपनी निर्धारित अवधि तक कार्य करती रहें। विशेषकर जल संकट–ग्रस्त इलाकों में यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक निवेश व्यर्थ न हो, जल स्रोतों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता होगी। जल गुणवत्ता प्रभावित गांवो में प्रोद्योगिकी नवाचारों पर काम करना होगा। यह आवश्यक होगा कि ग्रामीण समुदायों की सक्रिय सहभागिता से जिला और ग्राम स्तरीय कार्य योजनाएं तैयार की जाएंगीं। "बॉटम अप एप्रोच" के मंत्र का पालन करते हुए राज्यों को, लक्ष्य एवं निर्धारित समय–सीमा तय करते हुए, वार्षिक कार्य योजना तथा पंचवर्षीय 'राज्य कार्य योजना' तैयार करनी होगी तथा मिशन–मोड में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करना होगा तथा शत–प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से न्यूनतम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से वर्ष 2024 तक पेयजल उपलब्ध कराना।

- **समुदाय की भागीदारी :–**

मिशन के अंतर्गत ग्राम के अंदर प्रस्तावित कार्य की लागत का 5% अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य

ग्रामों द्वारा एवं 10% अन्य ग्रामों द्वारा जनसहयोग Cash and / or Kind and / or labour के रूप में लिया जायेगा।

- **संस्थागत ढाँचा :–**
- जल जीवन मिशन – राष्ट्रीय स्तर पर
- राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन – राज्य स्तर पर (मुख्य सचिव की अध्यक्षता)
- जिला जल एवं स्वच्छता मिशन – जिला स्तर पर (कलेक्टर की अध्यक्षता)
- ग्राम पंचायत एवं / अथवा उपसमिति – ग्राम स्तर पर

- **योजना क्रियान्वयन :–**
- प्रत्येक ग्राम में ग्राम पंचायत की उपसमिति यथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया जायेगा।
- ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का कार्यकाल सामान्यतः 02–03 वर्ष का होगा तथा ग्राम सभा, जल जीवन मिशन के कार्यकाल में इस समिति को पुनर्गठित भी कर सकेगी।
- ग्राम स्तर पर योजना की प्लानिंग, क्रियान्वयन, प्रबंधन हेतु "इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट एजेंसी" राज्य जल मिशन द्वारा सूचीबद्ध की जायेगी, जो कि एन.जी.ओ./व्ही.ओ./महिला स्व सहायता समूह/सी.बी.ओ. /ट्रस्ट/फाउन्डेशन हो सकते हैं।
- विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों एवं उनके द्वारा गठित उपसमितियों को सभी प्रकार का तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जायेगा।
- विभाग द्वारा नलजल योजनाओं की Drawing/Design, Estimate, DPR आदि तैयार किये जायेंगे।
- ग्राम की कार्य–योजना तैयार की जायेगी। योजनाओं का अनुमोदन जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किया जायेगा, तथा सक्षम स्तर से प्रशासकीय स्वीकृति जारी किये जाने के पश्चात योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जायेगा।
- विभाग द्वारा योजनाओं के पूर्ण होने के बाद ग्राम पंचायत अथवा उसकी उपसमिति/ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा संबंधित ग्राम की अंतःग्राम पेयजल अधोसंरचना का संचालन–संधारण किया जायेगा।

3.1.5 जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन :–

प्रदेश में योजनाबद्ध रूप से ग्रामीण क्षेत्र में नलजल योजनाओं के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा वर्ष 2020–21 में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वयन किया जा रहा है। **इसके अन्तर्गत विभाग द्वारा अद्यतन 17,318 ग्रामों की एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजनाओं, कुल लागत रुपये 11,190 करोड़ तथा 16,853 ग्रामों रुपये 18,454 करोड़ की 75 समूह जलप्रदाय योजनाएं स्वीकृत की गयी हैं।**

उच्च स्तरीय पेयजल टंकी–ग्राम चिकला, विकासखंड सीतामऊ, जिला मन्दसौर

अनुसूचित जनजाति ग्राम पंचायत धीरोली, विकास खण्ड श्योपुर में क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन से परिवार में पेयजल व्यवस्था

प्रदेश में 31.12.2021 तक 4016 ग्रामों में शत–प्रतिशत घरों में क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में एकल ग्राम नलजल प्रदाय योजनाओं तथा समूह जलप्रदाय योजनाओं से 31.12.2021 तक कुल 45.27 लाख घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं तदनुसार प्रदेश 37.02 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या का कवरेज हो चुका है। क्रियान्वित की जा रही नलजल योजनाओं के शेष कार्य विभिन्न चरणों में प्रगतिरत हैं।

- एक करोड़ से अधिक परिवारों वाले 07 राज्यों क्रमशः उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तामिलनाडु, मध्यप्रदेश एवं राजस्थान में मध्यप्रदेश की स्थिति :–
- वित्तीय वर्ष 2021–22 में केन्द्रांश+राज्यांश कुल व्यय करने में मध्यप्रदेश (रू. 3418.70 करोड़) द्वितीय स्थान पर है।
- हर घर जल उपलब्ध करने में मध्यप्रदेश (4,063 ग्राम) तीसरे स्थान पर है।
- मिशन के तेजी से क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के बजट को वर्ष 2021–22 में तीन गुना (रू. 5824 करोड़) किया गया।
- राज्यांश व्यय करने में मध्यप्रदेश (रू. 1761.20 करोड़) प्रथम स्थान पर है।
- इस वित्तीय वर्ष 2021–22 में देश में मध्यप्रदेश के द्वारा सबसे पहले प्रथम किश्त की द्वितीय ट्रांच राशि रू. 1274 करोड़ प्राप्त की गई है।

ग्राम नंदलाई, जिला रतलाम में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जल प्रदाय व्यवस्था

ग्राम सांगाखेड़ा, जिला रतलाम में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जल प्रदाय व्यवस्था हेतु उच्च स्तरीय पेयजल टंकी का निर्माण, क्षमता 1 लाख लीटर

- द्वितीय किश्त की प्रथम ट्रांच की राशि रूपये 1279 करोड़ प्राप्त की गई है।
- **मध्यप्रदेश अकेला राज्य है जिसमें सर्वप्रथम समस्त 51 जिला स्तरीय पेयजल परीक्षण प्रयोगशालायें एनएबीएल प्रमाणित है।**
- मध्यप्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले के समस्त ग्रामों के परिवारों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों द्वारा 100 प्रतिशत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराई जा चुकी है, इसके साथ ही बुरहानपुर **"हर घर जल"** जिला मध्य प्रदेश का पहला जिला बन गया है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत 215 ग्रामो हेतु 214 योजनायें रुपये 129.42 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त कर 72 आर सी सी उच्च स्तरीय टंकी निर्माण, 107 संपवेल निर्माण एवं 646 किलो मीटर पाइप लाइन बिछाकर ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत 101905 परिवारों में हर घर नल से जल पहुँचाया गया है।

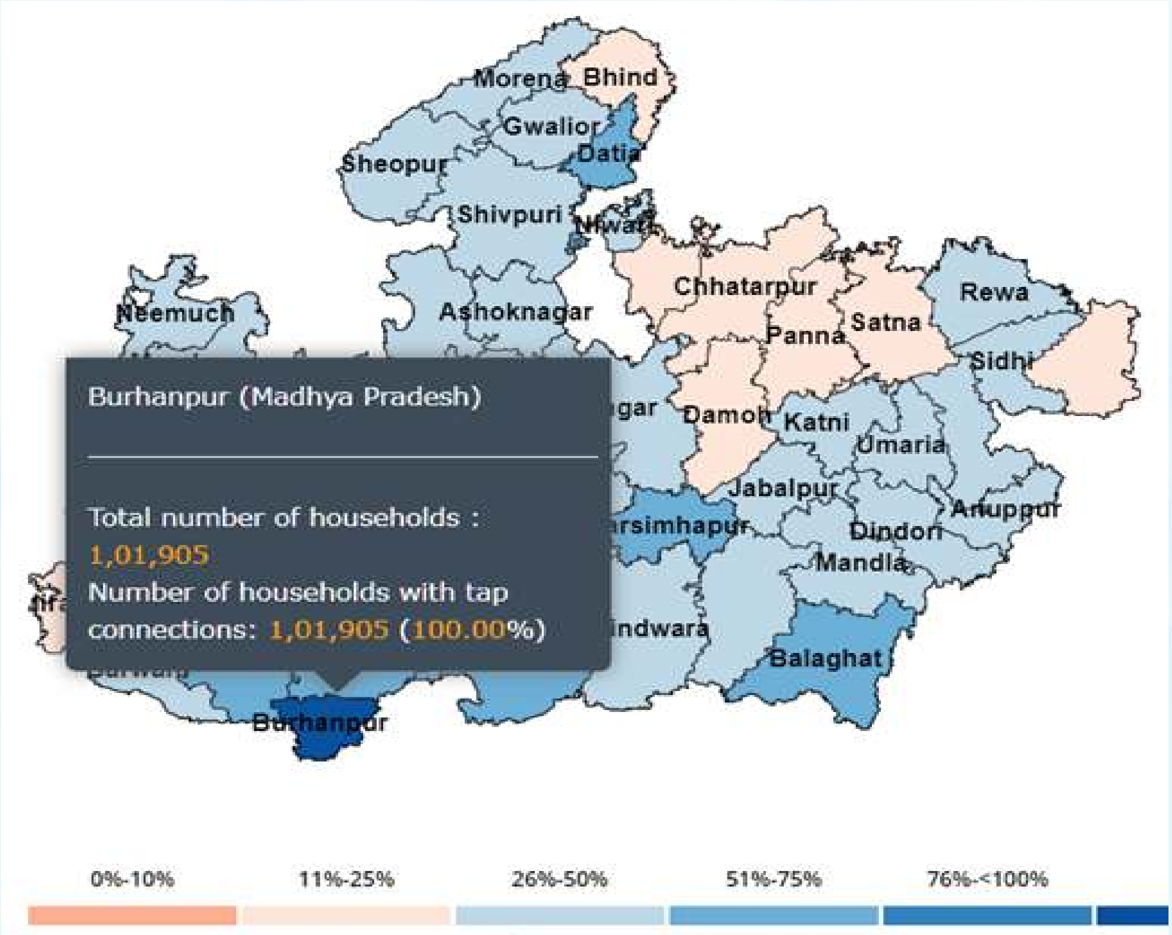

हर घर शुद्ध जल उपलब्ध हो इस हेतु जिले के प्रत्येक ग्राम के 5–5 व्यक्तियों को एफ.टी.के. के माध्यम से जल की गुणवत्ता की जांच किये जाने हेतु प्रशिक्षित किया गया है एवं उनके द्वारा निरंतर जल की गुणवत्ता की जांच की जा रही है।

एफ.टी.के. के माध्यम से जल की गुणवत्ता की जांच किये जाने हेतु प्रशिक्षण, जिला बुरहानपुर

योजना के संचालन एवं संधारण हेतु ग्राम स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता तदर्थ समिति का गठन किया गया है उक्त समिति के द्वारा जल कर की वसूली कर योजना का संचालन एवं संधारण किया जायेगा।

हर घर जल उपलब्ध हो जाने के कारण परिवार की महिलाओं का श्रम के साथ साथ समय की बचत हो रही है जिससे वे अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने एवं अन्य कार्य करते हुए परिवार की उन्नति हेतु अधिकतम समय का सदुपयोग कर रही है।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत बुरहानपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों में हर घर नल से जल व्यवस्था

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत बुरहानपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों में हर घर नल से जल व्यवस्था

घर-घर पानी पहुंचाने वाला पहला जिला बना बुरहानपुर, सीएम ने की सराहना

8 माह के काम-काज में जिला सी-ग्रुप में दूसरे स्थान पर, वीडियो कांफ्रेंस से सीएम ने की चर्चा

भास्कर संवाददाता | बुरहानपुर

जल जीवन मिशन में शत प्रतिशत काम पूरा कर घर-घर पानी पहुंचाने में बुरहानपुर प्रदेश का पहला जिला है। इससे आम लोगों की पानी की समस्या दूर होगी। बेहतर काम के पीछे जिला प्रशासन की कड़ी मेहनत है, जो सराहनीय है। यह बात सीएम शिवराजसिंह चौहान ने कही। उन्होंने सोमवार को सभी कलेक्टर और कमिश्नर से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत बुरहानपुर जिले में हुए कामों को सराहा। कहा बुरहानपुर प्रदेश का पहला जिला है, जिसने योजना को जमीन पर उतारा है। शेष कामों को जल्द पूरा करें, ताकि योजना का शुभारंभ हो सके। जल जीवन मिशन में 72 टंकियां स्वीकृत हैं। इनमें से 40 टंकियों का काम पूरा हो गया है। बाकी काम चल रहा है। जिले में 15, 300 परिवारों को टंकी से पेयजल वितरीत किया जा रहा है।

टेक्सटाइल्स क्षेत्र में 10 करोड़ के प्लांट होगा शुरू

'एक जिला-एक उत्पाद' विषय पर जिलेवार समीक्षा हुई। इसमें मप्र के स्थापना दिवस 1 नवंबर के संदर्भ में ''''एक जिला-एक उत्पाद'''' के तहत विभिन्न जिलों में ईकाइयों का शुभारंभ किया जाएगा। बुरहानपुर में 2 रायपेनिंग चेंबर और टेक्सटाइल्स क्षेत्र में 10 करोड़ के प्लांट का शुभारंभ होगा। पिछले आठ महीने में जिले में हुए कामों के आधार पर जिले को सी-ग्रुप में दूसरा स्थान मिला है। कलेक्टर कार्यालय के एनआईसी कक्ष में समीक्षा के दौरान कलेक्टर प्रवीण सिंह, एसपी राहुलकुमार लोढा, जिपं सीईओ रोहित सिसोनिया और अपर कलेक्टर शैलेंद्रसिंह भी मौजूद थे।

दैनिक भास्कर, बुरहानपुर, 21.09.2021

3.1.6 गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में कार्य :–

प्रदेश के कुछ जिलों के पेयजल स्रोतों में रसायनिक तत्वों की मात्रा निर्धारित मापदण्डों से अधिक पाई गई है, इनमें प्रमुख रूप से फ्लोराईड तत्व हैं। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत इन पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु कार्य किये जा रहे हैं।

- **गुणवत्ता प्रभावित पेयजल स्रोतों वाली बसाहटों की योजनाओं का विवरण :–**

  जल जीवन मिशन के अंतर्गत फ्लोराइड, खारापानी व लौह तत्व आदि जल गुणवत्ता समस्या से प्रभावित ग्रामों में शुद्ध पेयजल प्रदाय की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु कार्य किये जा रहे हैं। ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत बसाहटों में वैकल्पिक पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत फ्लोराइड, प्रभावित ग्रामों में शुद्ध पेयजल प्रदाय की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु संयंत्र की स्थापना, ग्राम रजपुरा, जिला डिण्डोरी

दिनांक 01.04.2021 की स्थिति में 213 गुणवत्ता प्रभावित बसाहटें पाई गई थीं। प्राथमिकता के आधार पर इनमें से 128 बसाहटों में विभाग द्वारा वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है शेष बसाहटों को पूर्ण कराने के प्रयास किये जा रहे हैं।

- **फ्लोरोसिस नियंत्रण :–**

पेयजल में 1.5 मि.ग्रा./लीटर से अधिक फ्लोराइड की मात्रा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फ्लोराइड प्रदूषित पेयजल के निरंतर सेवन से फ्लोरोसिस बीमारी हो सकती है, जिसका प्रारंभिक अवस्था में बचाव किया जा सकता है। दिनांक 01.04.2021 की स्थिति में 168 बसाहटें फ्लोराईड के अधिक्य से प्रभावित थीं जिनमें से 116 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था वर्ष 2021–22 में की गई है तथा शेष बसाहटों में सुरक्षित पेयजल व्यवस्था किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत फ्लोराइड, प्रभावित ग्रामों में शुद्ध पेयजल प्रदाय की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु संयंत्र की स्थापना ग्राम खण्सवाड़ा, विकासखण्ड परासिया, जिला छिन्दवाड़ा

- **खारेपन के नियंत्रण की योजनाएं :–**

  पेयजल में कुल घुलित लवणों की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 2000 मिलीग्राम प्रति लीटर (कोई अन्य स्रोत न होने की दशा में) है। पेयजल में उपरोक्त मात्रा से अधिक लवण होने पर पानी खारा हो जाता है।

  दिनांक 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार प्रदेश की 10 बसाहटों में खारेपन की अधिकता पाई गई है। इनमें से 3 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था वर्ष 2021–22 में की गई है तथा शेष बसाहटों में सुरक्षित पेयजल व्यवस्था किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

- **लौह तत्व की अधिकता का निराकरण :–**

  पेयजल में लौह तत्व की अधिकता होने से पानी लाल–भूरा हो जाता है एवं रंग के कारण अस्वीकार्य हो जाता है। पेयजल में लौहतत्व की अधिकतम स्वीकार्य सीमा 1 मिली ग्राम प्रतिलीटर है। प्रदेश में वर्तमान में लौह तत्व की अधिकता से प्रभावित 24 बसाहटों में वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था के प्रयास किए जा रहे हैं। दिनांक 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार प्रदेश की 29 बसाहटों में लौहतत्व की अधिकता पाई गई है। इनमें से 5 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था वर्ष 2021–22 में की गई है तथा शेष बसाहटों में सुरक्षित पेयजल व्यवस्था किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

3.1.7 ग्रामीण शालाओं एवं ऑगनवाड़ियों में पेयजल प्रदाय :–

प्रदेश की शासकीय भवन युक्त ग्रामीण शालाओं एवं ऑगनवाड़ियों में पेयजल व्यवस्था हेतु ग्रामों में जल की उपलब्धता के आधार पर जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कराया जा रहा है।

शासकीय भवन युक्त ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था–ग्राम पांझरिया, विकासखण्ड खण्डवा, जिला खण्डवा

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जनों में साफ–सफाई के महत्व पर जागरुकता पैदा करना और स्कूली बच्चों में सफाई के महत्व को समझाना तथा शालाओं एवं ऑंगनवाड़ियों में क्रियाशील नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।

शासकीय भवन युक्त ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था–
ग्राम श्यामपुर चितौनी, विकासखण्ड शुजालपुर, जिला शाजापुर

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में 31.12.2021 तक किए गए कार्यों का मुख्य विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	कार्यों का विवरण	शालाओं की संख्या	ऑंगनवाड़ियों एवं बालवाड़ियों की संख्या
	कुल चिन्हित	**93419**	**66896**
	कार्यों की प्रगति का विवरण	↓	↓
1.	क्रियाशील नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल व्यवस्था	69568	41315
2.	शौचालयों में पानी की निरंतरता	60142	34281
3.	हाथ धोने की सुविधा की उपलब्धता	81086	48408
4.	छात्रों एवं छात्राओं के लिए अलग शौचालयों की व्यवस्था	80302	42007
5.	वर्षा जल संचयन संरचना स्थापित	1887	1453
6.	ग्रे–वाटर प्रबंधन	7330	5153
7.	जियो–टेगिंग के साथ	30379	16504

इस प्रकार शालाओं एवं ऑगनवाड़ियों एवं अन्य शासकीय भवनों में पेयजल व्यवस्था की गई है। इन कार्यों में कुल रुपये 553.92 करोड़ व्यय किए जा चुके है।

उपरोक्त के अलावा प्रदेश के आश्रम शाला एवं अन्य सार्वजनिक संस्थाओं में नलजल योजनाओं/पाइपों के माध्यम से उपलब्ध पेयजल प्रदाय व्यवस्था कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	कार्यों का विवरण	कार्यों की संख्या
1	क्रियाशील नल कनेक्शन के माध्यम से उपलब्ध कुल पेयजल व्यवस्था	9662
2	जनपद पंचायत भवन/पंचायत घर में नल कनेक्शन की उपलब्धता	4739
3	स्वास्थ्य केन्द्रों में नल कनेक्शन की उपलब्धता	2023
4	सामुदायिक भवनों में नल कनेक्शन की उपलब्धता	636
5	आश्रम–शालाओं में नल कनेक्शन की उपलब्धता	1130
6	सामुदायिक शौचालयों में नल कनेक्शन की उपलब्धता	725
7	अन्य शासकीय कार्यालयों में नल कनेक्शन की उपलब्धता	509

3.1.8 भूजल संवर्धन एवं पुनर्भरण :–

विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर, 2021 तक कुल 58 नलकूपों में हाइड्रोफैक्चरिंग एवं 256 नलकूपों की सफाई के कार्य पेयजल स्रोतों के स्थायित्व हेतु विभागीय मशीनों के माध्यम से किये गये हैं।

जल जीवन मिशन अंतर्गत जल शक्ति मंत्रालय के दिशा निर्देश अनुसार प्रदेश के सभी ग्रामों में वर्ष 2024 तक हर घर नल से जल प्रदाय किया जाना है। जिलों में क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) हेतु प्रत्येक गांव की **''ग्राम कार्य योजना''** निर्मित की जा रही है। जिसमे जल आपूर्ति प्रणाली को दीर्घकालीन स्थायित्व उपलब्ध कराने के लिए विश्वसनीय स्त्रोतो का विकास, जल आवक क्षमता में वृद्वि के लिए कृत्रिम पुनर्भरण एवं ग्रे–वाटर प्रबंधन मुख्य घटक है।

जिलों में क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) हेतु चयनित ग्रामों में उपलब्ध पेयजल स्रोतों की विश्वसनीयता जैसे जलस्तर, जल की मात्रा एवं जल गुणवत्ता का परीक्षण किया जाना आवश्यक है। **''ग्राम कार्य योजना''** में भूजल संवर्धन एवं ग्रेवाटर प्रबंधन की संरचनाओं का प्रावधान मनरेगा, 15 वें वित्त आयोग द्वारा प्रदत्त राशि से क्रियान्वित योजनाओं से अभिसरण कर किया जा रहा है।

केंन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा भूजल की उपलब्धता के आधार पर वर्ष 2020–21 में किये गये आंकलन के अनुसार 31 जिलों के 26 विकासखण्ड अतिदोहित (Overexploited) 08 विकासखण्ड दोहित (Critical) एवं 50 विकासखण्ड अर्द्धदोहित (Semi Critical) श्रेणी में वर्गीकरण किया गया है।

विकासखण्डों का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	जिला	विकासखडों के नाम					
		क्रमांक	अतिदोहित	क्रमांक	दोहित	क्रमांक	अर्धदोहित
1	भोपाल					1	भोपाल शहरी
						2	फंदा
2	रायसेन					3	औबेदुल्लागंज
3	राजगढ़			1	सारंगपुर	4	जीरापुर
				2	नरसिंहगढ़	5	ब्यावरा
						6	खिलचीपुर
4	सीहोर			3	आष्टा		
5	विदिशा					7	कुरवाई
						8	ग्यारसपुर
6	बैतूल					9	मूलताई
						10	बैतूल
7	होशंगाबाद					11	बनखेड़ी
8	बड़वानी	1	पानसेमल			12	राजपुर
9	धार	2	बदनावर	4	तिरला		
		3	धार				
		4	नालछा				
10	इंदौर	5	इंदौर शहरी			13	महू
		6	इंदौर ग्रामीण				
		7	सांवेर				
		8	देपालपुर				
11	मंदसौर	9	मंदसौर	5	मल्हारगढ़	14	गरोठ
		10	सीतामऊ	6	भानपुरा		
12	रतलाम	11	जावरा			15	बाजना
		12	पिपलोदा			16	सैलाना
		13	रतलाम				
		14	आलोट				
13	आगर	15	नलखेडा			17	बड़ोद
		16	सुसनेर				
14	शाजापुर	17	मोमन बडोदिया			18	शाजापुर
		18	शुजालपुर				
		19	कालापीपल				
15	उज्जैन	20	उज्जैन			19	खाचरौद
		21	बड़नगर			20	महिदपुर
		22	घटिया			21	तराना

<table>
<tr><th rowspan="2">क्रमांक</th><th rowspan="2">जिला</th><th colspan="6">विकासखडों के नाम</th></tr>
<tr><th>क्रमांक</th><th>अतिदोहित</th><th>क्रमांक</th><th>दोहित</th><th>क्रमांक</th><th>अर्धदोहित</th></tr>
<tr><td rowspan="2">16</td><td rowspan="2">देवास</td><td>23</td><td>देवास</td><td></td><td></td><td>22</td><td>खातेगांव</td></tr>
<tr><td>24</td><td>सोनकच्छ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td>झाबुआ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23</td><td>झाबुआ</td></tr>
<tr><td>18</td><td>खण्डवा</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>24</td><td>छैगांवमाखन</td></tr>
<tr><td>19</td><td>खरगौन</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25</td><td>खरगौन</td></tr>
<tr><td rowspan="2">20</td><td rowspan="2">नीमच</td><td>25</td><td>जावद</td><td></td><td></td><td>26</td><td>मनासा</td></tr>
<tr><td>26</td><td>नीमच</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>21</td><td>अशोकनगर</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>27</td><td>ईशागढ़</td></tr>
<tr><td rowspan="4">22</td><td rowspan="4">छतरपुर</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>28</td><td>नौगांव</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>29</td><td>बीजावर</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>30</td><td>छतरपुर</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>31</td><td>बक्सवाहा</td></tr>
<tr><td>23</td><td>दमोह</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32</td><td>पथरिया</td></tr>
<tr><td>24</td><td>ग्वालियर</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>33</td><td>ग्वालियर शहरी</td></tr>
<tr><td rowspan="5">25</td><td rowspan="5">शिवपुरी</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>34</td><td>पिछोर</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>35</td><td>खनियॉधाना</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td>कोलारस</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>37</td><td>बदरवास</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>38</td><td>नरवर</td></tr>
<tr><td rowspan="5">26</td><td rowspan="5">टीकमगढ़</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>39</td><td>पलेरा</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>40</td><td>जतारा</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>41</td><td>बल्देवगढ़</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>42</td><td>निवाड़ी</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>43</td><td>टीकमगढ़</td></tr>
<tr><td rowspan="3">27</td><td rowspan="3">सतना</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>44</td><td>मैहर</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>45</td><td>सोहावल</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>46</td><td>रामपुर बघेलान</td></tr>
<tr><td rowspan="2">28</td><td rowspan="2">छिंदवाड़ा</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>47</td><td>मोहखेड़</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>7</td><td>छिंदवाड़ा</td><td>48</td><td>पांढूर्णा</td></tr>
<tr><td>29</td><td>जबलपुर</td><td></td><td></td><td>8</td><td>जबलपुर</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>30</td><td>नरसिंहपुर</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>49</td><td>नरसिंहपुर</td></tr>
<tr><td>31</td><td>रीवा</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td>मऊगंज</td></tr>
<tr><td>योग</td><td>84</td><td>26</td><td></td><td>8</td><td></td><td>50</td><td></td></tr>
</table>

ग्राम नलजल योजना में पेयजल स्त्रोतों के दीर्घकालीन स्थायित्व हेतु भूजल संवर्धन एवं संरक्षण संरचनाओं का निर्माण प्राथमिकता से ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा, 15 वित्त आयोग कर राशि, एवं अन्य मद से अभिसरण (Convergence) कर किये जा रहे हैं।

समस्या ग्रस्त ग्राम में रजीस्टीविटी मीटर द्वारा स्रोत स्थल चयन ग्राम रेहटई, विकासखण्ड बैरसिया, जिला भोपाल

विभाग द्वारा संचालित ग्राम नल जल योजनाओं के पेयजल स्त्रोतों के संवर्धन हेतु तालाब/नदी नाले/जल उपलब्ध क्षेत्र में रिचार्ज शाफ्ट, डग वेल रिचार्ज, जलस्तर से बंद/सूखे नलकूपों में रिचार्ज शाफ्ट/पिट आदि संरचनाए तकनीकी रूप से स्थल चयन करने में विभागीय भूजलविद् द्वारा अभिसरण कर निर्मित कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

''अटल भूजल योजना'' के अंतर्गत मध्यप्रदेश के बुल्देलखण्ड के 06 जिलों (सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी एवं पन्ना) के 09 विकासखण्डों कुल 672 ग्राम पंचायतों में पीजोमीटर खनन हेतु हाइड्रोजिओलॉजिकल सर्वे तथा टेलीमेट्री आधारित डी.डब्ल्यू. एल. आर. स्थापना का कार्य एवं फील्ड टेस्टिंग किट क्रय करने की कार्यवाही की जा रही है।

राष्ट्रीय सूदुर संवेदी केन्द्र एन.आर.एस.सी. (NRSC) हैदराबाद द्वारा 1:50,000 स्केल पर सीमलेंस हाइड्रोजिओंमार्फोलॉजिकल नक्शे (HGM Maps) एवं गुणवत्ता आधारित नक्शे (Quality Maps) का उपयोग भूजल की उपलब्धता के संभावित स्थान और एक्वीफर के पुनर्भरण का स्थान पता लगाने के लिए किया जा रहा है। MAPIT द्वारा विभाग के लिए निर्मित वेबसाइट का उपयोग कर ग्राम नलजल योजनाओं के स्रोत निर्माण हेतु स्थल चयन के लिए किया जा रहा है।

MAPIT द्वारा विभाग के लिए निर्मित वैबसाइट का उपयोग कर पेयजल योजनाओं के स्रोत निर्माण हेतु स्थल चयन हेतु प्रशिक्षण

वर्ष 2020 में विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये नवीन रजिस्टीविटी मीटर उपकरण, जी.पी.एस सहित का उपयोग ग्रामों में स्त्रोत के स्थल चयन हेतु भूभौतिकी सर्वेक्षण के लिए किया जा रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप सफल पेयजल स्त्रोतों के स्थल चयन में सफलता प्राप्त हो रही है।

विभाग द्वारा संचालित ग्राम नल जल योजनाओं के पेयजल स्त्रोतों के संवर्धन हेतु जल उपलब्ध क्षेत्र में रिचार्ज पिट का निर्माण– ग्राम बासला, विकासखण्ड कालापीपल, जिला शाजापुर

मेपकास्ट द्वारा पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में 04 जिलों (धार, सतना, टीकमगढ़, बैतूल) के एटलस निर्माण का कार्य किया जा रहा है। भूजल उपलब्धता के संभावित क्षेत्रों को दूर संवेदी उपग्रहों की सेटेलाइट इमेज का उपयोग कर 1:10,000 स्केल पर नक्शे बनाये जाने के लिए एन.आर.एस.सी. एवं मेपकास्ट द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

नलजल योजनाओं के प्रति संवेदनशीलता, भूजल संवर्धन एवं संरक्षण के कार्य के प्रति जागरूकता एवं तकनीकी मार्गदर्शन जिला स्तरीय, विकासखण्ड स्तरीय एवं ग्राम स्तर पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

3.1.9 हैंडपंप–प्लेटफार्म का पुनर्निर्माण :–

वर्ष 2021–22 में माह दिसम्बर, 2021 तक 1324 पुराने एवं क्षतिग्रस्त हैंडपंप प्लेटफार्म के स्थान पर नये प्लेटफार्म निर्मित किए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्प/प्लेटफार्म निर्माण एवं स्थापना – ग्राम भैंसादण्ड, विकासखण्ड छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा

3.1.10 स्रोत सूखने से बन्द योजनाओं में स्रोत निर्माण एवं अन्य कारणों से बंद योजनाओं को चालू करना :–

यद्यपि ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन–संधारण का दायित्व सम्बन्धित ग्राम पंचायतों का है, तथापि नलजल योजनाओं के स्रोत सूख जाने पर नवीन सफल स्त्रोत विकसित करने का दायित्व विभाग का है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त राशि से माह दिसम्बर, 2021 तक 630 योजनाओं में नवीन सफल स्त्रोत विकसित कर एवं 840 अन्य कारणों से बंद नलजल योजनाओं में सुधार कार्य कर, कुल 1470 बंद नलजल योजनाओं को पुनः चालू किया जाकर ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को निरंतरित रखा गया है।

3.1.11 माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणाओं का क्रियान्वयन :—

23 मार्च 2020 से 31.12.2021 तक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई कुल 39 घोषणाओं के विरुद्ध 34 घोषणाओं के कार्य पूर्ण सतत एवं 05 घोषणाएं लम्बित हैं जिन पर कार्यवाही की जा रही है।

3.2 आदिवासी उपयोजना :—

आदिवासी उपयोजना क्षेत्र की बसाहटों में विभाग द्वारा पेयजल व्यवस्था के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जा रहे हैं। प्रदेश में आदिवासी बाहुल्य बसाहटों में वर्ष 2021—22 में कुल 454 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था के कार्य पूर्ण किये गये हैं। इसके साथ ही अभी तक 10.15 लाख (31.95 प्रतिशत) परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराई जा चुकी है।

आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विगत वर्षो में किये गये कार्यों की वित्तीय उपलब्धि निम्नानुसार है :—

(रुपये लाख में)

क्र.	विवरण	2019—20	2020—21	2021—22
1	ग्रामीण क्षेत्र	62385.80	91601.20	139111.48

3.3 आदिवासी बाहुल्य बसाहटों में 275(1) एवं विशेष रूप से पिछड़ी जनजातीय समूह (पी.व्ही.टी.जी.) मद के कार्य:—

जनजातीय कार्य विभाग द्वारा आदिवासी बाहुल्य बसाहटों में पेयजल व्यवस्था हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता 275(1) एवं विशेष रूप से पिछड़ी जनजातीय समूह (पी.व्ही.टी.जी.) मद में राशि उपलब्ध कराये जाने की सहमति दिये जाने के उपरांत विभाग द्वारा वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार 150—250 जनसंख्या वाली बसाहटों में सिंगल फेस मोटर पंप आधारित लघु नलजल योजनाओं का क्रियान्वयन कर घरेलू कनेक्शन के माध्यम से पेयजल प्रदाय का कार्य प्रारंभ किया गया है। अभी तक कुल 376 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, शेष कार्य निरंतरित हैं।

3.4 अनुसूचित जाति उपयोजना :—

अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र की बसाहटों में विभाग द्वारा पेयजल व्यवस्था के कार्य प्राथमिकता के आधार पर किये जा रहे हैं। प्रदेश में अनुसूचित जाति बाहुल्य बसाहटों में वर्ष 2021—22 में कुल 85 बसाहटों में पेयजल व्यवस्था के कार्य पूर्ण किये गये हैं। इसके साथ ही अभी तक 2.54 लाख (33.17 प्रतिशत) परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराई जा चुकी है।

अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत विगत वर्षो में किये गये कार्यों की वित्तीय उपलब्धि निम्नानुसार है:—

(रुपये लाख में)

क्र.	विवरण	2019—20	2020—21	2021—22
1	ग्रामीण क्षेत्र	38556.82	63129.33	95891.55

3.5 प्रदेश में स्थापित हैण्डपंप एवं नलजल योजनाएं:—

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 31.12.2021 की स्थिति में स्थापित हैंडपंपों व क्रियान्वित की गई नलजल योजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है :—

➢ **प्रदेश में स्थापित हैंडपंपों की स्थिति :–**

क्रमांक	विवरण	संख्या
1.	**कुल स्थापित शासकीय हैंडपम्प**	**5,56,123**
2.	चालू हैंडपम्प	5,47,174
3.	कुल बन्द हैण्डपम्प	8,949
3.1	जलस्तर कम होने से बन्द हैण्डपम्प	2,638
3.2	असुधार योग्य (भरे–पटे आदि)	3,048
3.3	साधारण खराबी से बन्द (सुधार योग्य)	3,263

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित हैण्डपंपों का संधारण लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाता है। संधारण कार्यों के अंतर्गत ही सामान्य रख–रखाव के साथ साथ जल स्तर नीचे जाने पर हैण्डपंपों में राइजर पाइप में वृद्धि के कार्य, आवश्यकतानुसार तकनीकी रूप से संभव होने पर भरे–पटे नलकूपों को साफ कर उन्हें पुनः उपयोगी बनाने, नलकूपों में हाइड्रोफ्रैक्चरिंग व हैण्डपंपों के क्षतिग्रस्त प्लेटफार्म निर्माण आदि के कार्य भी विभाग द्वारा किये जाते हैं।

➢ **प्रदेश में स्थापित नलजल प्रदाय योजनाओं की स्थिति :–**

प्रदेश में दिनांक 31.12.2021 की स्थिति में, ग्रामीण क्षेत्र में कुल स्थापित 16,572 ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	विवरण	संख्या
1.	**कुल स्थापित**	**16572**
2.	चालू योजनाएं	15832
3.	कुल बन्द योजनाएं	740
3.1	जलस्तर कम होने से बन्द	339
3.2	मोटर पम्प की खराबी से बन्द	44
3.3	विद्युत सम्बन्धी कारणों से बन्द	51
3.4	लाइन क्षतिग्रस्त होने से बन्द	132
3.5	पंचायत द्वारा न चलाने से बन्द	9
3.6	अवयव जीर्ण शीर्ण	93
3.7	अन्य कारणों से बन्द	72

3.6 लोक सेवा गारंटी

लोक सेवा प्रदाय गारन्टी अधिनियम–2010 के अन्तर्गत हैण्डपंप संधारण कार्य सहित जल गुणवत्ता परीक्षण के कार्य एवं Ease of Doing Business के तहत औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल की उपलब्धता/अनुपलब्धता की एन.ओ.सी. पेपरलेस आधारित तकनीक पर पोर्टल mp e-sewa के माध्यम से प्रदायगी सुनिश्चित की जा रही है।

3.7 विद्युत–यांत्रिकी संकाय द्वारा सम्पादित किए जा रहे कार्यों का विवरण :–

ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूपों का खनन कार्य विभागीय रिग मशीनों द्वारा सम्पादित किया जाता है। ग्रामों में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत नलजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नलकूप खनन के कार्य विभागीय रिगों द्वारा सम्पादित किए जाते हैं। विभागीय मशीनों की उपलब्ध क्षमतानुसार वर्ष

में लगभग 7500 नलकूप खनन किये जा सकते हैं। वर्ष 2021–22 में उपलब्ध लक्ष्य 1840 के विरुद्ध जनवरी 2022 तक कुल 4089 नलकूपों का खनन किया गया है, इसमें नलजल योजनाए एवं निक्षेप आदि के कार्य भी सम्मिलित है। वर्ष 2021–22 में (जनवरी 2022 तक) 58 कम आवक क्षमता वाले नलकूपों के पुनर्जीवीकरण का कार्य भी विभागीय हाईड्रोफेक्चरिंग इकाइयों का उपयोग कर किया गया है। विभागीय रिग मशीनों से कुल 256 नलकूपों की सफाई का कार्य किया गया है । विभागीय यील्ड टेस्ट इकाइयों के द्वारा नलजल योजना के 559 नलकूपों का यील्ड टेस्ट भी किया गया है।

विभागीय रिग मशीनों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था हेतु नलकूपों का खनन कार्य–ग्राम सहजपुरी, विकासखण्ड छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा

नलकूप खनन हेतु कुल 78 विभागीय खनन मशीनें उपलब्ध हैं, जिनमें 72 डी.टी.एच. रिग, 02 रोटरी रिग तथा 4 काम्बीनेशन मशीनें हैं । जिलों की भू–सरंचना को दृष्टिगत रखते हुए डी.टी.एच. रिग पथरीले इलाके में साधारण नलकूप, रोटरी रिग मशीनें मिट्टी व रेतीले स्ट्रेटा में ग्रैवल पेक नलकूप तथा काम्बीनेशन रिग मिश्रित स्ट्रेटा के क्षेत्र में नलकूप खनन करने के लिए प्रयुक्त होती है। वर्तमान में 5 हाईड्रोफेक्चरिंग मशीनें जल आवक क्षमता बढानें एवं 5 यील्ड टेस्ट यूनिट जल आवक क्षमता परीक्षण के लिए विभाग में उपलब्ध हैं।

- **विभागीय ड्रिलिंग मशीनों द्वारा विगत तीन वर्षो में किये गए कार्यो की प्रगति :–**

वर्ष	निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धि	सफल नलकूपों की संख्या
2018–19	3200	7557	6524
2019–20	3370	7145	6208
2020–21	3350	6882	6141
2021–22 (जनवरी, 22 तक)	1840	4089	3501

नोटः— निर्धारित लक्ष्यों के अतिरिक्त जिलों की नलजल योजनाओं के स्त्रोत निर्माण सहित निक्षेप आदि मद में किये गये कार्य उक्त उपलब्धि में सम्मिलित है ।

- **विशेष उपलब्धि :—**

1) वर्तमान में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 100 से 250 जनसंख्या वाले ग्रामों में नल के माध्यम से प्रत्येक घर में पेयजल उपलब्ध करवाये जाने का कार्य वि./यां. परिक्षेत्र के अंतर्गत सभी मैकेनिकल खण्डों के अधीन उपखण्डों के माध्यम से सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ किया गया एवं वर्तमान में अद्यतन लगभग 1000 ग्रामों में जल जीवन मिशन तहत कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं 989 ग्रामों में योजनाओं के कार्य प्रगतिरत हैं, सभी कार्यो को वर्षान्त तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

मैकेनिकल संकाय द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत छोटे ग्रामों में नल के माध्यम से पेयजल व्यवस्था का कार्य— ग्राम बिरजीखापा, विकासखण्ड माखन नगर (बाबई), जिला होशंगाबाद

2) विभाग के माध्यम से मिश्रित स्ट्राटावाले क्षेत्रो में नलकूप खनन हेतु 04 हाई प्रेशर कॉम्बीनेशन ड्रिलिंग रिग मशीन का क्रय हेतु ''जैम'' पोर्टल पर निविदा आमंत्रित की गई थी, नियमानुसार विभागीय अनुसंशा पर शासन द्वारा कार्यवाही की गई है।

घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल व्यवस्था– ग्राम कथौतिया, विकासखण्ड नरसिंहपुर, जिला नरसिंहपुर

3.8 कार्यनीति एवं क्रियान्वयन (सहायक गतिविधियॉं) :–

"जल जीवन मिशन" के क्रियान्वयन हेतु प्रभावी मार्गदर्शिका तथा मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रं. एफ–16–03/2020/2/34 दिनांक 19.05.2020 द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक एफ–06/13/2003/34/1, दिनांक 01.08.2003 द्वारा गठित राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को अधिक्रमित करते हुए, पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन हेतु जारी परिचालन दिशा–निर्देश में दिये गये दायित्वों का निर्वाहन राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किया जायेगा।

तदानुक्रम में पूर्व से कार्यरत जल सहायता संगठन को पुर्नगठित करते हुये राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन में समाहित कर जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित की जाने वाली सहायक गतिविधियाँ तथा जल गुणवत्ता एवं अनुश्रवण निगरानी संबंधी कार्यों का क्रियान्वयन किया जा रहा है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से मानव संसाधन विकास, सूचना शिक्षा एवं संचार, जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी, सूचना प्रबंधन प्रणाली का विकास, अनुसंधान एवं विकास जैसी गतिविधियों का संचालन किया जाता है। इस हेतु

क्रियान्वयन सहायता संस्था, तृतीय पक्ष निरीक्षण संस्थाओं एवं राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन इकाई के माध्यम से उक्त गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। जल सहायता संगठन के अंतर्गत संविदा आधार पर स्वीकृत एवं भरे हुये पदों को जल जीवन मिशन के अर्न्तगत समायोजित किया गया है, विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	पद का नाम	स्वीकृत पद	स्वीकृत पदों के विरुद्ध भरे गये पद
अ. राज्य स्तर			
1.	निदेशक, कार्यनीति एवं क्रियान्वयन	1	–
2.	अधीक्षण यंत्री (राज्य समन्वयक) एक पद	1	–
3.	कार्यपालन यंत्री	1	1
4.	सहायक यंत्री	1	1
5.	उप यंत्री	1	–
6.	राज्य स्तरीय सलाहकार (मानव संसाधन विकास एवं सूचना, शिक्षा एवं संचार)	1	–
7.	राज्य स्तरीय सलाहकार (भूजलविद्)	1	1
8.	राज्य स्तरीय सलाहकार (अनुश्रवण एवं मूल्याकंन)	1	–
9.	राज्य स्तरीय सलाहकार (जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी)	1	1
10.	लेखापाल	1	–
11.	डाटा इंट्री आपरेटर	1	1
ब. जिला स्तर			
1.	जिला स्तरीय सलाहकार (मानव संसाधन विकास)	50	29
2.	जिला स्तरीय सलाहकार (सूचना, शिक्षा एवं संचार)	50	38
3.	जिला स्तरीय सलाहकार (भूजलविद्)	50	17
4.	जिला स्तरीय सलाहकार (अनुश्रवण एवं मूल्याकंन)	50	15
स. विकासखण्ड स्तर			
1.	विकासखण्ड स्तरीय संयोजक (तकनीकी)	313	233
	कुल पद	**524**	**337**

जल जीवन मिशन क्रियान्वयन –

(अ) **क्रियान्वयन सहायता संस्थाओं का सूचीबद्धकरण** (ISA)

जल जीवन मिशन की मार्गदर्शिका की कण्डिका क्रमांक 5.5 के अनुसार विभाग द्वारा 125 क्रियान्वयन सहायता संस्थाओं को सूचीबद्ध किया गया है। क्रियान्वयन सहायता संस्थाओं द्वारा संपादित किये जाने वाले मुख्य कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :–

1. प्रत्येक ग्राम में VWSC का गठन करना ।
2. ग्राम कार्य योजना तैयार करना ।
3. VWSC को बैंक खाता खुलवाने में सहायता करना ।
4. ग्रामीणों को मिशन के संबंध में जागरूक एवं प्रेरित करना ।
5. योजना के लिये सामुदायिक अंशदान एकत्रित कर बैंक खाते में जमा कराना ।
6. योजना के निरीक्षण संचालन एवं संधारण हेतु ग्रामीण समुदाय को मार्गदर्शित करना एवं मार्गदर्शिका अनुसार अन्य संबंधित कार्य।

ISA द्वारा ग्राम सभा का आयोजन, जिला बुरहानपुर

7. गैर सरकारी संगठनों / स्वयं सेवी संगठनों / महिला स्व–सहायता समूहों को आईएसए के रूप में नामित किया गया है। समुदायों को संगठित करने में भागीदारी, योजना, डिजाइन, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव के लिए समुदायों को प्रेरित करने ओर साथ में लाने में कार्य करने में एक भागीदार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जाएगा। गांव में पानी की आपूर्ति के बुनियादी ढांचे राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सूचीबद्ध पैनल में शामिल आईएसए से पांच साल की **जिला कार्य योजना** के आधार पर, प्रति वर्ष कवर किए जाने वाले गांवों की संख्या निर्धारित की जाएगी। ये चिन्हित गांव अलग–अलग श्रेणियों अर्थात् वितरण नेटवर्क और एफ.एच.टी.सी. के दृष्टि से केवल अन्तिम छोर की कनेक्टिविटी की आवश्यकता वाले ग्राम, वे ग्राम जिनमें जल के विवेक पूर्ण उपयोग कर केवल सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियान चलाए जाने हैं, संचालन एवं रख–रखाव सहायता की जरूरत वाले ग्राम, नई योजनाओं की आवश्यकता वाले ग्राम आदि के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे, और मार्गदर्शन के लिए आई.एस.ए. को नियुक्त करने हेतु इन ग्रामों को समूहबद्ध किया जाएगा।

(ब) तृतीय पक्ष निरीक्षण संस्थाओं का सूचीबद्धकरण (TPI)

जल जीवन मिशन की मार्गदर्शिका की कण्डिका क्रमांक 9.6 के अनुसार विभाग द्वारा 28 तृतीय पक्ष निरीक्षण संस्थाओं को सूचीबद्ध किया गया है। तृतीय पक्ष निरीक्षण संस्थाओं द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित की जाने वाली नल जल योजनाओं के निर्माण कार्यों (सिविल, मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल) का गुणवत्ता निरीक्षण संबंधी कार्य संपादित किया जावेगा।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सूचीबद्ध तृतीय पक्ष द्वारा निर्माण कार्यों का निरीक्षण–जिला खण्डवा

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन

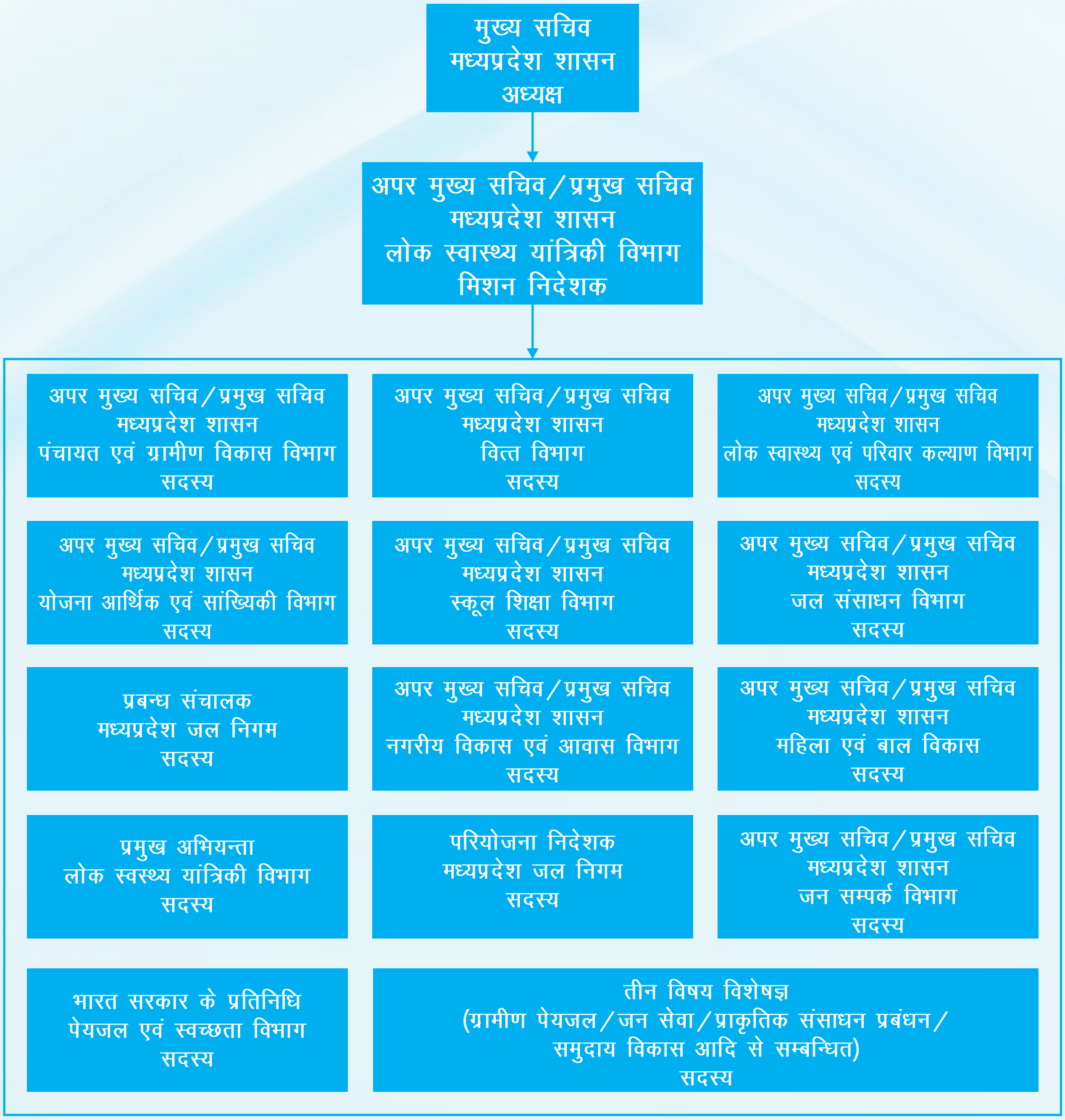

(स) राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन ईकाई का गठन (PMU)

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के सहयोग हेतु जल जीवन मिशन मार्गदर्शिका की कण्डिका क्रमांक 5.3 में उल्लेखित विभिन्न पदों पर मानव संसाधन की सेवायें राज्य स्तरीय प्रबंधन इकाई के माध्यम से लिया जाना है। राज्य स्तरीय परियोजना प्रबंधन ईकाई हेतु प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया अपनाते हुये गुणवत्ता सह लागत आधारित (Quality come cost base selection) राष्ट्रीय स्तर की संस्था के चयन के लिये प्रक्रिया प्रगतिरत है। राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई हेतु चयनित संस्था द्वारा निम्नानुसार पदों पर मानव संसाधन की सेवायें अस्थायी रूप से लिया जाना है :–

क्रं.	पदनाम	पद संख्या
1	टीम लीडर	1
2	प्रोजेक्ट मैनेजर (तकनीकी)	1
3	प्रोजेक्ट मैनेजर (वित्तीय)	1
4	प्रोजेक्ट मैनेजर (निगरानी)	1
5	कार्यान्वयन सहायता एजेंसियॉ (आई.एस.ए.) समन्वयक	1
6	शिक्षा, सूचना एवं संचार समन्वयक (आई..ई.सी.)	1
7	क्षमता संवर्धन और प्रशिक्षण समन्वयक	1
8	एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई.एम.आई.एस.) कोआर्डिनेटर	1
9	प्रत्येक जोन के लिये एक समन्वयक (एम एण्ड ई.)	5
10	वित्तीय सहायक	2
11	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	5
12	कार्यालय सहायक	3
13	जिला स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजर (तकनीकी)	56
14	जिला स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजर (निगरानी)	56
15	जिला समन्वयक कार्यान्वयन सहायता एजेंसियॉ (आई.एस.ए.)	56
16	जिला सूचना, शिक्षा एवं संचार कन्सल्टेंट	19
17	जिला मानव संसाधन विकास समन्वयक	25
18	जिला अनश्रवण एवं मुल्यांकन समन्वयक	41
19	जल गुणवत्ता अनश्रवण एवं निगरानी समन्वयक	56

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के गुणवत्ता नियंत्रण इकाई खंड को अनुसंधान एवं विकास इकाई के रूप में मान्य किया गया है। राज्य तकनीकी एजेंसीज (State Technical Agencies) का चयन एवं विभागीय योजनाओं के परीक्षण, स्वीकृति एवं क्रियान्वयन हेतु समन्वय भी इस मिशन द्वारा किया जाता है। राज्य तकनीकी एजेंसीज (एस.टी.ए.) के रूप में मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (MANIT), भोपाल, म. प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (MAPCAST), भोपाल, श्री गोविन्दराम सेक्सरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान (SGSITS) इंदौर को चयनित किया गया है।

3.8.1 सहायक गतिविधियों अन्तर्गत संपादित किए जाने वाले कार्य :–

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली कुल राशि का 5 प्रतिशत राशि सहायक गतिविधियों के लिये निर्धारित है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत सहायक गतिविधियों का निष्पादन क्रियान्वयन सहायता संस्थाओं द्वारा किया जाना है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत संपादित की जाने वाली प्रमुख सहायक गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है:–

1. मानव संसाधन विकास गतिविधियाँ :–

मानव संसाधन विकास गतिविधियों के अंतर्गत, विभाग के कार्यालयीन एवं अन्य मैदानी अमले का क्षमतावर्धन, विभिन्न विभागों के साथ समन्वय तथा पंचायती राज्य संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों का क्षमतावर्धन एवं उन्मुखीकरण कर उन्हें विभागीय गतिविधियों से जोड़ा जाता है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का विकासखंड स्तरीय प्रशिक्षण विकासखंड भानपुरा, जिला मन्दसौर

विभागीय प्रशिक्षण आवश्यकताओं के अनुरूप वार्षिक प्रशिक्षण कैलेण्डर तैयार कर तद्नुसार विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों एवं पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों का प्रशिक्षण राज्य स्तर, परिक्षेत्र स्तर, मंडल स्तर, जिला स्तर एवं विकासखण्ड स्तर तक किया जाता है।

जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण पेयजल उपसमितियों का गठन मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 13 अगस्त 2020 में प्रकाशित प्रावधान अनुसार किया जा रहा है। इन समितियों के सदस्यों को पेयजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण हेतु तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए कैस्केड मोड में प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त मिशन अंतर्गत क्रियान्वित की जाने वाली नल जल योजनाओं के स्थानीय स्तर पर संचालन एवं संधारण हेतु विभिन्न संवर्ग यथा–मेशन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर एवं अन्य हेतु लगभग 50000 व्यक्तियों को प्रधानमंत्री कौशल विकास केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदाय कराया जाना है।

आंगनवाड़ी सुपरवाइजरों का जिला स्तरीय प्रशिक्षण, जिला मन्दसौर

इस हेतु राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) के साथ अनुबंध निष्पादन प्रक्रियाधीन है। इस वर्ष 31.12.2021 तक संपादित प्रशिक्षणों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या
1.	जिला स्तरीय सलाहकार का प्रशिक्षण	99
2.	विकासखंड स्तरीय समन्वयकों (तकनीकी) का प्रशिक्षण	233
3.	विभागीय अभियंताओं / कर्मचारियों तथा अन्य विभागों के अधिकारियों / कर्मचारियों का प्रषिक्षण	1240
4.	पेयजल उप समितियों के सदस्यों का उन्मुखीकरण प्रषिक्षण	32275
5.	फील्ड टेस्टिंग किट एवं एच टू एस के माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु मैदानी अमला / पंचायती राज सदस्यों का प्रशिक्षण	25000

1. **सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियां :–**

जल जीवन मिशन अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के प्रचार–प्रसार एवं शुद्ध पेयजल के उपयोग से होने वाले लाभों की जानकारी को प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पहुँचाने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां संपादित की जाती हैं। इन गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर जिलाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी–जिला पंचायत एवं कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की एक समिति गठित की गई है। प्रचार–प्रसार गतिविधियों के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक, चलचित्र प्रसारण, जागरूकता रथ का भ्रमण, रेडियो / केबल टी. व्ही. का प्रसारण, ग्रामीण सहभागिता आंकलन (पी.आर.ए.), होर्डिंग्स, नारा लेखन, ग्राम सभा, वार्ड सभा का आयोजन इत्यादि गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं।

ग्राम सभा में महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य जल शपथ लेते हुए

26 जनवरी, 2022 को झॉकी के माध्यम से पेयजल कार्यों का प्रचार–प्रसार– जिला मन्दसौर

PRA ग्राम काचरीया चन्द्रावत, विकासखंड मल्हारगढ़, जिला मंदसौर

इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश के सभी जिलों में सूचना, शिक्षा एवं संचार के अंतर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित गतिविधियाँ संपादित की गई हैं :–

क्र.	गतिविधियाँ	संख्या
1	जिला, विकासखण्ड एवं ग्राम स्तरीय कार्यषाला	42
2	मेला / प्रदर्शनी आयोजन	14
3	आई.ई.सी.वेन / रथ	2224
4	होर्डिंग / बैनर / पोस्टर्स	6343
5	दीवार लेखन	29711
6	वाटर ऑडिट	5903
7	ग्राम सभा / ग्रुप मीटिंग	2404
8	स्कूल रैली / वाद–विवाद एवं निबंध लेखन प्रतियोगिताएं	2857
9	नुक्कड़ नाटक / गायन एवं नाट्य कार्यक्रम	2706
10	पी. आर. ए.	238
11	ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का गठन	1195
12	ग्रामीण कार्य योजना	6761
13	आई. एस. ए. गतिविधियॉ	71
14	Folk Songs	1489
15	SHG involvement	2668
16	World Water Day Event	3
17	Flip Charts	4625
18	Innovation Conference/Events	3
19	Key Stakeholders at Block/GP/Village level	10143
20	No. of persons Plumber/ Electrician/ Fitter/ Masom/ Pump/Motor Mechanics to be trained	904

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत रतलाम जिले में तैयार किए गए पेयजल जागरुकता रथ को रवाना किया गया इस अवसर पर झाबुआ संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद, जिला कलेक्टर एवं अन्य अधिकारी उपस्थित हुए

जल जीवन मिशन के प्रचार रथ को CEO जिला पंचायत, मन्दसौर द्वारा रवाना किया गया

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत महिला समूहों का प्रशिक्षण, जिला दतिया

जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित

जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यों को लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण किया जाये: कलेक्टर

समर्थ सहारा, आर के आंकोदिया

श्योपुर। कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा द्वारा निर्देश दिये गये कि जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यों को लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण किया जाये। बैठक में सीईओ जिला पंचायत राजेश शुक्ल, अपर कलेक्टर टीएन सिंह, एसडीएम विजयपुर नीरज शर्मा, श्योपुर लोकेन्द्र सरल सहित अन्य विभागो के अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर शिवम वर्मा ने बैठक में निर्देश दिये कि स्कूल एवं आंनगबाडी केन्द्रो में योजना के तहत नल से जल कार्य के पूर्ण कार्यों से संबंधित फोटोग्राफ अगली टीएल में शिक्षा विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत किये जाये। पीएचई के ईई श्री बीएच आचाले ने बताया कि मिशन अंतर्गत रेट्रोफिटिंग योजना में 209 कार्यो की डीपीआर तैयार की गई है। जिसमें 129 की प्रशासकीय स्वीकृति तथा 64 कार्य पूर्ण हो गये है। 36 योजनाएं प्रगतिरत है। नवीन योजनाओं में 297 कार्यो की डीपीआर भेजी गई है। जिसमें 28 की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। इनमें से 27 प्रगतिरत एवं एक पूर्ण हो गई है। नल से जल कार्य के तहत 988 स्कूलों में से 677 पूर्ण एवं 311 प्रगतिरत है। इसी प्रकार 535 आंनगबाडियों में से 473 में कार्य पूर्ण हो चुका है। 60 में प्रगतिरत है।जल जीवन मिशन के प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाई कलेक्टर शिवम वर्मा द्वारा जल जीवन मिशन के प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाई गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर टीएन सिंह, एसडीएम लोकेन्द्र सरल, ईई पीएचई बीएस आचाले आदि उपस्थित थे। ईई पीएचई ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत प्रचार रथ गांव में जाकर मिशन की गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करेंगा तथा घर-घर नल से जल पहुंचाने की योजना के बारें में जानकारी देगा। इससे लोगों में जल योजनाओं के प्रति स्वामीत्व की भावना उत्पन्न होगी तथा लोग जलकर आदि देने के लिए प्रेरित होगे।

जल से बदला दो गांव के 590 परिवारों का जीवन

प्रेरणा ● बरखेड़ा कायम गांव के लोगों से सीएम आज करेंगे बात, नलों के माध्यम से घरों तक पहुंच रहा पानी

[illegible]

[illegible]

[illegible]

नईदुनिया एक्सक्लूसिव

आंकड़ों से समझिए, कैसे जल संकट दूर हुआ

बरखेड़ा कायम में.... 491 परिवार को मिल रहा पानी

बरखेड़ी मान में.... 99 परिवार के घरों तक पहुंच रहा जल

गांव में सुबह आधा घंटा पानी सप्लाई होता है

1 लाख 25 लीटर पानी की टंकी क्षमता है

टंकी 50 फीट ऊंचाई की है, दो ट्यूबवेल है

1 संपवेल बना है 20 हजार लीटर का

पूरे गांव में 32 मीटर की पाइप लाइन डाली गई है

6 में योजना पूरी हुई है

ये हाल थे छह माह पहले

[illegible]

2

[illegible]

गांव में ग्राम जल स्वच्छता समिति

[illegible]

गुणवत्ता के साथ समय सीमा में कार्य पूर्ण कराये जाने दिये निर्देश

कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश

हरिभूमि न्यूज ▶▶ कटनी

कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने जल जीवन मिशन के कार्यों की बैठक कर समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही पेयजल योजनाओं के कार्यों की समीक्षा कलेक्टर श्री मिश्रा ने की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ जगदीश चंद्र गोमे ने भी पीएचई के अधिकारियों से जल जीवन मिशन योजना द्वारा चल रहे कार्यों के बारे जानकारी ली। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक यंत्री विकल्प पटेल ने बताया कि जिले के 13 ग्रामों में योजना पूर्ण हो चुकी है और 14 गांव में योजना पूर्णता की ओर है। कलेक्टर श्री मिश्रा ने पीएचई विभाग के सभी अधिकारियों को जल जीवन मिशन योजना के द्वारा किए जा रहे कार्यों में गुणवत्तापूर्ण और समय सीमा पर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश प्रदान किए। कलेक्टर ने जल जीवन मिशन योजना के प्रचार-प्रसार में पीएचई की सहयोगी संस्था स्वयं सिद्धा टीम के द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी ली। संस्था के परियोजना समन्वयक नंदकिशोर कुशवाहा ने आगामी कार्ययोजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब प्रत्येक गांव में जल जीवन मिशन योजना के संचालन संधारण के लिए ग्राम जल व स्वच्छता तदर्थ समिति की कार्यशाला का आयोजन किया जाना है। जिसमें सभी गठित ग्राम जल स्वच्छता समितियों के बैंक खाता खुलवाकर पूर्ण योजना वाले गांव से शत-प्रतिशत जलकर की राशि वसूल की जाएगी। बैठक में सभी जनपद पंचायतों के सीईओ ,महिला बाल विकास अधिकारी ,शिक्षा विभाग, स्वच्छ भारत मिशन और पीएचई विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

गुणवत्तापूर्ण व समय सीमा में कार्य कराने के निर्देश

कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश

कटनी ■ राज न्यूज नेटवर्क

कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने जल जीवन मिशन के कार्यों की बैठक कर समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही पेयजल योजनाओं के कार्यों की समीक्षा कलेक्टर श्री मिश्रा ने की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ जगदीश चंद्र गोमे ने भी पीएचई के अधिकारियों से जल जीवन मिशन योजना द्वारा चल रहे कार्यों के बारे जानकारी ली। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सहायक यंत्री विकल्प पटेल ने बताया कि जिले के 13 ग्रामों में योजना पूर्ण हो चुकी है और 14 गांव में योजना पूर्णता की ओर है।

कलेक्टर मिश्रा ने पीएचई विभाग के सभी अधिकारियों को जल जीवन मिशन योजना के द्वारा किए जा रहे कार्यों में गुणवत्तापूर्ण और समय सीमा पर कार्य पूर्ण कराने के निर्देश प्रदान किए।कलेक्टर श्री मिश्रा ने जल जीवन मिशन योजना के प्रचार-प्रसार में पीएचई की सहयोगी संस्था स्वयं सिद्धा टीम के द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी ली। संस्था के परियोजना समन्वयक नंदकिशोर कुशवाहा ने आगामी कार्ययोजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब प्रत्येक गांव में जल जीवन मिशन योजना के संचालन संधारण के लिए ग्राम जल व स्वच्छता तदर्थ समिति की कार्यशाला का आयोजन किया जाना है। जिसमें सभी गठित ग्राम जल स्वच्छता समितियों के बैंक खाता खुलवाकर पूर्ण योजना वाले गांव से शत-प्रतिशत जलकर की राशि वसूल की जाएगी। बैठक में सभी जनपद पंचायतों के सीईओ, महिला बाल विकास अधिकारी ,शिक्षा विभाग, स्वच्छ भारत मिशन और पीएचई विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

2. अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां :–

ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सहायक गतिविधियों के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का प्रावधान किया गया है। म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (MAPCAST) भोपाल एवं बिड़ला इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड साइंस (BITS), राँची के सहयोग से हाइड्रोजियोमॉर्फोलॉजीकल मैप्स (HGM-Map's) को अद्यतन किया जा रहा है, जिसमें वाटर क्वालिटी लेयर को भी अंकित किया जा रहा है।

3.8.2 जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम :–

पेयजल की गुणवत्ता के महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत दो प्रतिशत राशि जल गुणवत्ता अनुश्रवण व निगरानी कार्यक्रम के लिये निर्धारित की गई है। इसके अन्तर्गत विभाग द्वारा वर्ष 2021–22 में जनवरी 2022 तक निम्नानुसार महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित किये गये :–

- ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग द्वारा प्रदाय किये जा रहे जल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जल परीक्षण प्रयोगशालाऐं स्थापित हैं। प्रदेश में 51 जिला स्तरीय तथा 103 उपखण्ड स्तरीय प्रयोगशालायें एवं राज्य मुख्यालय पर 01 राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित हैं, जिनमें पेयजल स्त्रोतों के नियमित जल परीक्षण किये जाते हैं

NABL प्रमाणित राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला, भोपाल में पेयजल नमूनों का प्रति–परीक्षण

- जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं में 300 परीक्षण प्रतिमाह के मान से कुल 183600 एवं उपखंड स्तरीय प्रयोगशालाओं में 300 परीक्षण प्रतिमाह के मान से कुल 370800 जल नमूनों के परीक्षण का लक्ष्य वर्ष 2021–22 में निर्धारित है। जिसके विरुद्ध जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं द्वारा 97258 एवं उपखंड स्तरीय प्रयोगशालाओं द्वारा 183975 जल नमूनों का परीक्षण किया गया है।

ग्राम पंचायत पिपरानी, विकास खण्ड करहाल, जिला श्योपुर में ग्रामीण महिलाओं द्वारा पेयजल में पी.एच. वैल्यू की जॉच

- भारत सरकार द्वारा जल की पीने के लिये उपयुक्तता के ऑकलन हेतु 14 घटकों का परीक्षण किया जाना निर्धारित किया गया है।

  ये घटक हैं –1. टर्बीडिटी, 2. पी.एच., 3. रंग 4. हार्डनैस 5. क्लोराइड, 6. एल्केलिनिटी, 7. टी.डी.एस, 8. फ्लोराइड, 9. आयरन, 10. नाईट्रेट, 11. सल्फेट, 12. कॉलीफार्म 13. ई–कोलाई परीक्षण एवं 14. आर्सेनिक।
- फील्ड टेस्ट किट एवं H2S वायल के माध्यम से वर्ष 2021–22 में जनवरी 2022 तक 692814 पानी के नमूनों की जॉच मैदानी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई ।
- राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला में जिलों से प्राप्त जल नमूनों का प्रति परीक्षण किया जाता है, साथ ही यहाँ सीवेज, जल उपचार में उपयोग में लाये जाने वाले रसायनों की गुणवत्ता एवं पेयजल के उपचार संबंधी परीक्षण भी किये जाते हैं। यहां पर विभागीय रसायनज्ञों एवं प्रयोगशाला सहायकों के लिये जल परीक्षण संबंधी सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक पहलुओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किये जाते हैं। वर्ष 2021–22 में जनवरी 2022 तक 4024 जल नमूनों का परीक्षण किया गया है।
- वर्ष 2021–22 में 196742 पेयजल स्त्रोतों का स्वच्छता निरीक्षण किया गया, जिससे पेयजल स्त्रोतों के उचित रखरखाव में सहायता मिली ।

- **पेयजल परीक्षण प्रयोगशालाओं का एन.ए.बी.एल. प्रमाणीकरण** :–

  राज्य अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल एवं 51 जिला प्रयोगशालाओं का एन.ए.बी.एल. प्रमाणीकरण प्राप्त किया जा चुका है। चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 में 28 उपखण्ड प्रयोगशालाओं का NABL Recognition प्राप्त हो चुका है, शेष उपख्ण्ड प्रयोगशालाओं के प्रमाणीकरण के कार्य प्रगति पर हैं। मार्च 2022 तक सभी प्रयोगशालाओं का प्रमाणीकरण किया जाना लक्षित है।

3.9 प्रशिक्षण कार्यक्रम :–

जल आपूर्ति तथा स्वच्छता प्रणालियों के सफल रूपांकन, कार्यान्वयन, परिचालन एवं रख–रखाव के लिये अद्यतन प्रचलित तकनीकों में दक्ष अधिकारियों/कर्मचारियों की उपलब्धता आवश्यक है। अतः विभाग के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों को जल आपूर्ति तथा सफाई–व्यवस्था के क्षेत्र में परिवर्धित तकनीकों तथा प्रबंधन दक्षता प्राप्त होना तथा समय–समय पर इसे अद्यतन करना और जलप्रदाय व स्वच्छता के क्षेत्र में हुए नवीनतम अनुसंधान एवं विकास से अवगत कराना आवश्यक है। वर्ष 2021 में (माह दिसम्बर 2021 तक) कोविड–19 के कारण ऑन लाईन प्रशिक्षणों में कुल 579 अधिकारियों/कर्मचारियों को नामांकित किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

संस्था का नाम	वर्ष 2020–21		वर्ष 2021–22 दिसम्बर–2021 तक		कुल	
	प्रशिक्षण संख्या	प्रशिक्षु संख्या	प्रशिक्षण संख्या	प्रशिक्षु संख्या	प्रशिक्षण संख्या	प्रशिक्षु
1	2	3	4	5	6	7
प्रशासन अकादमी भोपाल	–	–	01	10	01	10
महाराष्ट्र पर्यावरण अभियॉत्रिकी प्रशिक्षण संस्था नासिक रोड	–	–	07	405	07	405
म.प्र.जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, भोपाल	–	–	04	164	04	164

3.10 विभागीय कम्प्यूटरीकरण :–

विभागीय कार्यक्रमों तथा योजनाओं के क्रियान्वयन तथा प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु केन्द्र शासन तथा राज्य शासन द्वारा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा उनकी प्रगति की सतत निगरानी तथा समीक्षा हेतु निरंतर नये प्रयास, नये साफ्टवेयर का विकास किया जा रहा है। विभाग में भारत शासन तथा राज्य शासन एवं विभाग के विभिन्न साफ्टवेयर के माध्यम से विभागीय कार्यक्रम एवं योजनाओं की ऑनलाईन समीक्षा संभव हो सकी है। इस हेतु विभाग द्वारा विभिन्न स्तर के कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण तथा उसके आधुनिकीकरण का कार्य भी निरंतर किया जा रहा है।

3.11 नगरीय पेयजल कार्यक्रम :–

3.11.1 कार्यक्रम और उपलब्धियां :–

वर्तमान में प्रदेश की केवल 2 जल प्रदाय योजनाओं क्रमशः सीधी एवं झाबुआ को छोडकर शेष सभी नगरीय योजनाऐं संबंधित नगरीय निकायों द्वारा संचालित– संधारित की जा रही हैं।

3.11.2 सामान्य नगरीय जलप्रदाय योजना कार्यक्रम :–

नगरीय जल प्रदाय योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत छिन्दवाड़ा शहर की पेंचव्हेली समूह जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में उक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत सभी अवयवों के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं ।

3.11.3 राष्ट्रीय नदी/झील संरक्षण योजना कार्यक्रम :–

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निक्षेप कार्य के रूप में विभाग द्वारा शिवपुरी जिले के शिवपुरी झील संरक्षण परियोजना, कुल लागत राशि रुपये 111.55 करोड़ का क्रियान्वयन किया जा रहा है। झील संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा शिवपुरी शहर में सीवेज लाइन बिछाने एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य किया जा रहा है, जो कि अंतिम चरण में है। सीवेज नेटवर्क कार्य के अतर्गत अभी तक लगभग 100 किलोमीटर लम्बाई में सीवर लाइन बिछाई जा चुकी है एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का 98 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिस पर लगभग 95.00 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

विवरण इस प्रकार है:–

20 एम.एल.डी सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट निर्माण :–

क्र.	कार्य के अवयव	पूर्ण कार्य	रिमार्क
1	सिविल कार्य	आंशिक पूर्ण	ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण कार्य पूर्ण एवं रोड निर्माण कार्य शेष।
2	मेकेनिकल कार्य	पूर्ण	–
3	विद्युत कनेक्शन कार्य	पूर्ण	विद्युत कनेक्शन नहीं लिया है।

सीवेज लाइन बिछाने का कार्य:–

क्र.	कार्य के अवयव	पूर्ण कार्य	शेष कार्य
1	1100 मि.मी. व्यास की आर.सी.सी. ट्रंक लाइन	प्रगतिरत	710 मीटर

झील संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा शिवपुरी शहर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य

झील संरक्षण परियोजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा शिवपुरी शहर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य

- शिवपुरी झील संरक्षण परियोजना के अतंर्गत 1100 मि.मी. व्यास की ट्रंक लाइन बिछाने का कार्य माधव नेशनल पार्क क्षेत्र में किया जा रहा है। उक्त क्षेत्र में हार्ड स्ट्रेटा होने के कारण बांछित प्रगति प्राप्त नहीं हो पा रही है। खुदाई के दौरान प्राप्त होने वाली हार्ड रॉक का परीक्षण माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलोजी एण्ड साइंस ग्वालियर से कराया गया जिसकी हॉर्डनेश 5.5 Moha's Scale पर प्राप्त हुई। माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलोजी एण्ड साइंस ग्वालियर द्वारा भी खुदाई कार्य ब्लास्टिंग के माध्यम से कराये जाने हेतु अभिमत दिया गया।

- मुख्य वन संरक्षक एवं संचालक माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी द्वारा पत्र क्र. 03 दिनांक 23.07.2019 द्वारा माधव नेशनल पार्क क्षेत्र में खुदाई के लिये ब्लास्टिंग हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) भोपाल से अनुरोध किया गया है। तदोपरांत प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) भोपाल द्वारा अनुमति प्रदान की गई एवं ब्लास्टिंग के माध्यम से खुदाई कार्य किया जा रहा है।

- माधव नेशनल पार्क क्षेत्र में चैनेज क्रमांक 1050 से 1750 तक अत्यधिक गहराई होने कारण सीवर लाइन बिछाने हेतु हार्ड रॉक खुदाई में वांछित प्रगति प्राप्त नहीं हो पा रही है। जिस हेतु उसको ब्रेकर मशीन की संख्या एवं लेबर की संख्या बढ़ाने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

- शेष बचे हुये 710 मीटर सीवेज लाइन को अप्रैल–2022 तक पूर्ण कराया जाना संभावित है।

4. भाग–चार

मध्यप्रदेश जल निगम

(मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम)

1.1 प्रस्तावना

मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के आदेश क्रमांक–एफ 16–149/2012/2/34 भोपाल दिनांक 06 जून 2012 द्वारा प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरीय क्षेत्रों में समूह नलजल प्रदाय योजनाओं एवं नलजल विकास व उपचार के क्रियान्वयन, संचालन/संधारण एवं समन्वय के लिए ''मध्यप्रदेश जल निगम'' का गठन किया गया, जिसका पंजीयन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत 9 जुलाई, 2012 को ''मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित'' के नाम से किया गया।

1.2 विभागीय संरचना

संचालक मण्डल –

1.	माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन	–	अध्यक्ष
2.	माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	–	उपाध्यक्ष
3.	माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास	–	उपाध्यक्ष
4.	माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास	–	उपाध्यक्ष
5.	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	–	उपाध्यक्ष
6.	भारसाधक सचिव, वित्त विभाग	–	संचालक
7.	भारसाधक सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	–	संचालक
8.	भारसाधक सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग	–	संचालक
9.	भारसाधक सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	–	संचालक
10.	भारसाधक सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	–	संचालक
11.	भारसाधक सचिव, जल संसाधन विभाग	–	संचालक
12.	भारसाधक सचिव, नर्मदा घाटी विकास विभाग	–	संचालक
13.	प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	–	संचालक

1.3 मध्यप्रदेश जल निगम कार्यालय

मध्यप्रदेश जल निगम का पंजीकृत कार्यालय विन्ध्याचल भवन, भोपाल में स्थापित है। मध्यप्रदेश जल निगम, प्रबंध संचालक के अधीन है।

मध्यप्रदेश जल निगम के अतंर्गत मैदानी कार्यालय के रूप में परियोजना क्रियान्वयन इकाईयॉ क्रमशः भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, राजगढ़, शहडोल, सिवनी, पन्ना, निवाड़ी, सतना, दमोह एवं जबलपुर की स्थापना की गई है। मध्यप्रदेश जल निगम अंतर्गत जल जीवन मिशन हेतु 4 नवीन परियोजना क्रियान्वयन इकाई गुना, सिंगरौली, मंदसौर एवं नीमच की स्थापना कि गई इन परियोजना क्रियान्वयन इकाईयों में 68 नवीन पदों कि स्वीकृति की गई है एवं मुख्यालय स्तर पर भी 24 नये पदों की स्वीकृति की गई।

मध्यप्रदेश जल निगम अंतर्गत सहायक यंत्री स्तर तक के स्वीकृत पदों की जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र.	पदनाम	स्वीकृत संख्या
1	प्रबंध संचालक	1
2	परियोजना निदेशक (प्रमुख अभियंता)	1
3	मुख्य महाप्रबंधक (मुख्य अभियंता)	4
4	महाप्रबंधक / उपमहाप्रबंधक (अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री)	22
5	मुख्य वित्तीय अधिकारी (संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा)	1
6	महाप्रबंधक (जन सहभागिता)	1
7	प्रबंधक (उप संचालक, कोष एवं लेखा)	11
8	प्रबंधक (सहायक यंत्री)	30
9	कम्पनी सचिव	1
10	चार्टर्ड एकाउण्टेंट	1

1.4 निगम के प्रमुख उद्देश्य –

- राज्य के ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल पर्याप्त मात्रा में सुविधाजनक स्थान पर परिवार स्तर पर नल कनेक्शन द्वारा उचित वितरण व्यवस्था के साथ वर्ष भर उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
- शहरी / नगरीय / ग्रामों की नलजल योजनाओं की परिकल्पना, रूपांकन, प्राक्कलन, निविदा प्रपत्र निर्माण, निविदाएं आमंत्रण, कार्यादेश, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण।
- भू–गर्भीय तथा सतही जल संसाधनों का संयुक्त (Conjunctive) उपयोग, सुनिश्चित करना।
- राज्य की ग्रामीण समूह नलजल योजनाओं का संचालन एवं संधारण सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पेयजल समितियों के गठन, उनमें जल के प्रति सामाजिक तथा पर्यावरणीय चेतना विकसित करने में सहयोग प्रदाय करना।
- नगरीय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित होने वाले मल–जल के निकास एवं उपचार की योजनाओं का आकल्पन एवं क्रियान्वयन करना।
- उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बाह्य सहायता एवं ऋण सहित अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों, जिसमें ऋण भी शामिल होगा, की व्यवस्था करना।
- पेयजल व्यवस्था से संबंधित प्रशिक्षण एवं शोध की व्यवस्था करना एवं इस हेतु राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थाओं से समन्वय करना।
- पेयजल प्रदाय योजनाओं एवं जल मल निकास योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित नीतिगत निर्णय हेतु राज्य स्तर पर शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना।

2. भाग – दो

2.1 राशि की उपलब्धता

1. कम्पनी की अंशपूजी राशि रू. 100.00 करोड़ है।

2.2 योजनाओं हेतु ऋण एवं व्यय (NABARD शाखा)

1. **आर.आई.डी.एफ – (RIDF-XIX)** अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 17 समूह जल प्रदाय योजनाएं लागत रु. 983.33 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत ऋण राशि रू. 835.80 करोड़ एवं राज्यांश रू. 147.53 करोड़ है।

2. **आर.आई.डी.एफ – (RIDF-XXII)** अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 04 समूह जल प्रदाय योजनाओं लागत रू. 352.15 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत ऋण राशि रू. 292.64 करोड़ एवं राज्यांश राशि रू. 59.51 करोड़ है।

3. **आर.आई.डी.एफ – (XXIV)** अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 03 समूह जल प्रदाय योजनाऐं लागत रु. 788.21 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत ऋण राशि रु. 595.62 करोड़ एवं राज्यांश राशि रु. 192.59 करोड़ है।

4. **आर.आई.डी.एफ – (RIDF-XXV)** अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 04 ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं लागत रू. 235.23 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत ऋण राशि रू. 199.95 करोड़ एवं राज्यांश राशि रू. 23.10 करोड़ है।

5. **आर.आई.डी.एफ – (RIDF-XXVI)** अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 9 ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की लागत रू. 1202.14 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत ऋण राशि रू. 615.63 करोड़ एवं राज्यांश राशि रू. 2.31 करोड़ है।

6. **आर.आई.डी.एफ– (RIDF-XXVII)** अंतर्गत नाबार्ड द्वारा 07 ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं लागत रू. 3039.86 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत ऋण राशि रू. 1126.15 करोड़ एवं राज्यांश राशि रू. 161.44 करोड़ है।

7. नाबार्ड अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं कुल लागत रू. 5837.45 करोड़ के क्रियान्वयन पर दिनांक 31 जनवरी 2022 तक राशि रू. 3319.83 करोड़ का व्यय हुआ।

समूह जलप्रदाय योजना उदयपुरा, जिला रायसेन–जल शुद्धिकरण संयंत्र

2.3 खनिज क्षेत्र विकास निधि/जिला माईनिंग :–

खनिज क्षेत्र विकास निधि/जिला माईनिंग अंतर्गत 14 समूह जल प्रदाय योजनाऐं लागत रू. 1584.83 करोड़, क्रियान्वित की जा रही थी जिसमें से 07 समूह जल प्रदाय योजनाओं हेतु ऋण नाबार्ड से प्राप्त होने के कारण खनिज क्षेत्र विकास निधि/जिला माईनिंग अंतर्गत वर्तमान में 07 समूह जल प्रदाय योजनाऐं लागत रू. 870.08 करोड़, क्रियान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं के क्रियान्वयन पर दिनांक 31.01.2022 तक कुल राशि रू. 849.57 करोड़ का व्यय हुआ।

2.4 बाह्य वित्तीय सहायतित निधि (एन.डी.बी.) :–

न्यू डैवलपमेंट बैंक (एन.डी.बी.) के द्वारा वित्त पोषित 09 योजनाओं लागत रू. 4512 करोड़ हेतु वित्तीय वर्ष 2021–2022 में 877.50 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन पर दिनांक 31.01.2022 तक राशि रू. 2526.18 करोड़ व्यय की गई है।

3. भाग – तीन

3.0 समूह जल प्रदाय योजनाएं

वर्तमान में मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा सतही स्त्रोत आधारित समूह जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अभी तक 68 समूह जलप्रदाय योजनाएं क्रियान्वयन हेतु ली गई हैं, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों की 20 समूह जल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन कार्य पूर्ण कर, 802 ग्रामों की 10.94 लाख जनसंख्या को घरेलू कनेक्शन के माध्यम से जलप्रदाय किया जा रहा है। शेष 48 समूह जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, उनके पूर्ण होने पर 10439 ग्रामों की 113.33 लाख जनसंख्या को घरेलू कनेक्शन के माध्यम से जलप्रदाय हो सकेगा।

समूह जलप्रदाय योजना उदयपुरा, जिला रायसेन–इन्टेक वेल

3.1 नाबार्ड द्वारा RIDF अंतर्गत स्वीकृत 39 समूह जल प्रदाय योजनाओं में से 15 योजनाएं पूर्ण एवं 24 योजनाओं का कार्य प्रगतिरत है।

3.2 बुन्देलखण्ड विकास विशेष पैकेज फेस–2 के अंतर्गत 03 समूह जल प्रदाय योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जाकर जल प्रदाय प्रारंभ किया गया है।

3.3 खनिज क्षेत्र विकास निधि / जिला माईनिंग अंतर्गत 07 समूह जल प्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगतिरत है।

3.4 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम / राज्य मद अंतर्गत 02 समूह जल प्रदाय योजनाओं में से 01 पूर्ण एवं 01 योजना का कार्य प्रगतिरत है।

3.5 बाह्य वित्तीय सहायतित परियोजना अन्तर्गत न्यू डेव्लपमेन्ट बैंक से 09 समूह जल प्रदाय योजनाओं के कार्य प्रगतिरत है।

3.6 'जल जीवन मिशन' के तहत 10 समूह जलप्रदाय योजनाएं लागत रू. 6111 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कर, क्रियान्वयन कार्य प्रगतिरत है।

3.7 नवीन 26 समूह जल प्रदाय योजनाऐं लागत रू. 9721 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इनसे 6353 ग्रामों की 77 लाख 34 हजार ग्रामीण जनसंख्या लाभान्वित होगी।

3.8 समूह जल प्रदाय योजनाओं में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सनिश्चित करने हेतु तृतीय पक्ष निरिक्षण संस्था की नियुक्ति जल जीवन मिशन में प्रावधान अनुसार की गई है।

जल निगम मर्यादित द्वारा क्रियान्वित समूह जलप्रदाय योजना राजगढ़ के अन्तर्गत निर्मित इन्टेक वेल

4. भाग – चार

4.1 योजनाओं का संचालन–संधारण

- योजनाओं का संचालन एवं संधारण का कार्य ग्राम स्तरीय टंकी तक निर्माण एजेन्सी द्वारा 10 वर्ष तक किया जा रहा है।
- ग्राम के अन्दर जल वितरण का कार्य, बिल वितरण एवं राजस्व वसूली का कार्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल के राजपत्र दिनांक 26 सितम्बर, 2020 में प्रकाशित, 'मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (ग्रामीण जलप्रदाय योजना क्रियान्वयन एवं प्रबंधन) नियम, 2020' के अनुसार पेयजल उप–समिति द्वारा किया जा रहा है।

5. भाग – पॉच

5.1 प्रचार–प्रसार गतिविधियॉ:

- समूह जल प्रदाय योजनाओं के अन्तर्गत आने वाली ग्रामों के जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों में समूह जल प्रदाय योजनाओं के प्रति संवेदनशीलता एवं जागरूकता उत्पन्न करने हेतु ग्रामों में प्रचार–प्रसार एवं क्षमतावर्धन गतिविधियों का क्रियान्वयन कार्यान्वित सहायता (ISA's) के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है।
- क्रियान्वित की जा रही समूह जलप्रदाय योजनाओं के ग्रामों में 'मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (ग्रामीण जलप्रदाय योजना क्रियान्वयन एवं प्रबंधन) नियम, 2020' के अनुसार पेयजल उप–समितियों का गठन किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा स्कूल रैली का आयोजन

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित द्वारा ग्राम सभा का आयोजन

स्व सहायता समूह

5. भाग – पाँच
सामान्य प्रशासनिक विषय

1. न्यायालयीन प्रकरण :–

दिनांक 31.12.2021 तक विभाग से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में प्रकरणों की संख्या निम्नानुसार है :–

क्रमांक	न्यायालय	31.12.2021 की स्थिति में प्रकरणों की संख्या
1	माननीय सर्वोच्च न्यायालय	45
2	माननीय उच्च न्यायालय	1544
3	माननीय माध्यस्थ अभिकरण	14
4	माननीय औद्योगिक न्यायालय	120
5	माननीय दावा अभिकरण	00
6	माननीय जिला न्यायालय	164
7	माननीय श्रम न्यायालय	440
	कुल योग	**2327**

2. स्थानान्तरण प्रकरण :–

दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि में विभाग द्वारा प्रशासकीय एवं स्वयं के व्यय पर किये गये अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानान्तरण का विवरण निम्नानुसार है :–

श्रेणी	कुल स्थानान्तरण
प्रथम श्रेणी	14
द्वितीय श्रेणी	39
तृतीय श्रेणी	119
चतुर्थ श्रेणी	39

3. विभागीय पदोन्नतियां :–

वर्ष 2021–22 में दो अधीक्षण यंत्री (सिविल) से मुख्य अभियन्ता (सिविल) एवं एक मुख्य अभियन्ता से प्रमुख अभियन्ता के पद पर पदोन्नत हुए हैं।

4. विभागीय जॉच प्रकरण :–

दिनांक 01.04.2021 से 31.12.2021 की अवधि में संस्थित विभागीय जाँच प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है:–

- प्रथम श्रेणी के 01 अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है (01 विभागीय अनुशंसा पर)।
- द्वितीय श्रेणी के 01 अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है।

- तृतीय श्रेणी संवर्ग में 02 पर विभागीय जॉच चल रही है (02 विभाग स्तर पर संस्थित विभागीय जॉच)

- दिनांक 1.4.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि में 1 कार्यपालन यंत्री एवं 1 उपयंत्री विभागीय प्रकरण में निलम्बित हैं।

5. नियुक्तियॉं :–

वर्ष 2021–22 में विभाग द्वारा 5 कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं।

6. सूचना का अधिकार :–

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 की धारा 5 (1) एवं धारा 5 (2) के अनुसार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश के अन्तर्गत सूचना के अधिकार अधिनियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिये विभिन्न स्तरों पर निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त हैं :–

कार्यालय का नाम	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपीलीय अधिकारी
1. शासन स्तर पर	अवर सचिव (स्था.) अवर सचिव (तक.)	– –	उप सचिव (तक.) उप सचिव (स्था.)
2. प्रमुख अभियंता कार्यालय स्तर पर	कार्यपालन यंत्री (सिविल)	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (आहरण एवं संवितरण अधिकारी उपलब्ध न होने पर प्रमुख अभियंता द्वारा नामांकित कार्यपालन यंत्री)	अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)
3. परिक्षेत्र स्तर पर	मुख्य अभियंता कार्यालय में पदस्थ कार्यपालन यंत्री (मुख्य अभियंता द्वारा नामांकित)	लेखा अधिकारी (लेखा अधिकारी पदस्थ न होने पर मुख्य अभियंता द्वारा नामांकित सहायक यंत्री)	परिक्षेत्र कार्यालय में पदस्थ अधीक्षण यंत्री
4. मंडल कार्यालय स्तर पर	कार्यपालन यंत्री अथवा अधीक्षण यंत्री द्वारा नामांकित सहायक यंत्री	मंडल अधीक्षक (मंडल अधीक्षक उपलब्ध न होने पर अधीक्षण यंत्री द्वारा नामांकित कर्मचारी)	मंडल के अधीक्षण यंत्री
5. जिला/खंड कार्यालय स्तर पर	संबंधित खंड के कार्यपालन यंत्री	संभागीय लेखापाल	संबंधित मंडल में पदस्थ अधीक्षण यंत्री
6. उपखंड स्तर पर	सहायक यंत्री	उपयंत्री (मुख्यालय में पदस्थ एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा नामांकित)	कार्यपालन यंत्री (सम्बन्धित खंड कार्यालय में पदस्थ)

सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत वर्ष 2021–22 में कुल 1866 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1527 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है, शेष 339 आवेदन निराकरण हेतु प्रक्रियाधीन हैं।

7. वर्ष 2021–22 में विधानसभा प्रश्नों आदि से सम्बन्धित कार्यों का विवरण:–

वर्ष 2021–22 में विधान सभा सत्रों की अवधि में माननीय विधायकों द्वारा पूछे गये विधान सभा प्रश्नों, ध्यानाकर्षण सूचनाओं एवं स्थगन प्रस्तावों से संबंधित विभाग द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	विषय	विधान सभा सत्र मार्च–अप्रैल 2021		विधान सभा सत्र अगस्त 2021		विधान सभा सत्र दिसम्बर 2021	
		कुल प्राप्त	उत्तर भेजे गये	कुल प्राप्त	उत्तर भेजे गये	कुल प्राप्त	उत्तर भेजे गये
1	विधान सभा प्रश्न	185	185	50	50	57	57
2	शून्यकाल की सूचनाएँ	0	0	0	0	01	01
3	ध्यानाकर्षण सूचनाएँ	17	17	01	01	09	09
4	स्थगन प्रस्ताव	0	0	0	0	0	0

भाग – छः

विभागीय प्रकाशन से सम्बन्धित जानकारी

विभाग द्वारा पेयजल स्त्रोतों के समीप साफ–सफाई, स्वच्छ पेयजल के उपयोग तथा उसके लाभ, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित सामग्री का प्रकाशन समय–समय पर किया जाता है, जिसे विभिन्न स्थलों पर प्रदर्शित किया जाता है। जिला एवं उपखण्ड स्तर पर भी ऐसी कार्यवाही सतत् रूप से की जाती है।

भाग – सात

सारांश

- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ग्रामीण जलप्रदाय कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन मार्गदर्शिका जारी की गई है। जिसमें 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल व्यवस्था हेतु सुरक्षित पेयजल स्त्रोत उपलब्ध कराया जाना तय किया गया है। भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम पेयजल व्यवस्था उपलब्ध कराने के कार्य किए जा रहे हैं।
- वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश योजनाएं भूगर्भीय जल स्त्रोतों पर आधारित हैं किंतु भूजल के अत्यधिक दोहन के कारण प्रदेश के कई क्षेत्रों में भूगर्भीय जल की उपलब्धता में कठिनाई हो रही है। ग्रीष्मकाल में अनेकों क्षेत्रों में नलकूपों में जल स्तर नीचे जाने के कारण पानी की कमी की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए पेयजल के भूजल स्त्रोतों के संवर्धन एवं वर्षा जल से पुनर्भरण संबंधी कार्य भी विभाग द्वारा किये जा रहे हैं।
- कठिनाई वाले क्षेत्रों में, जहां भूगर्भीय जल की उपलब्धता पर्याप्त नहीं है, उन क्षेत्रों में व्यवहार्यता के आधार पर, सतही स्रोतों पर आधारित समूह जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन भी प्रारम्भ किया गया है तथा जल शुद्धिकरण के उपरांत जल वितरण प्रणाली के माध्यम से ऐसी योजनाओं के अंतर्गत आने वाले विभिन्न ग्रामों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जा रही है।
- गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों पेयजल व्यवस्था हेतु योजनाएं तैयार कर क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।
- ग्रामीण पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत पंचायत स्तर पर स्थानीय व्यक्तियों को पेयजल गुणवत्ता संबंधी प्रशिक्षण भी दिये जा रहे हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत फील्ड टेस्ट किट्स् प्रत्येक पंचायत को उपलब्ध कराए गये हैं एवं पंचायत स्तर पर ही पेयजल के सभी स्त्रोतों की गुणवत्ता के परीक्षण की व्यवस्था की गई है। सभी विभागीय उपखंडों में उपखण्ड स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं जिससे पेयजल गुणवत्ता परीक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।
- मई 2020 से वर्तमान तक 27.65 लाख परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया। इस अवधि में प्रदेश में नल से जल का प्रतिशत 14.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 38.58 प्रतिशत तक पहुंचाया गया है।

- मध्यप्रदेश प्रथम राज्य है जिसमें सर्वप्रथम समस्त 51 जिला स्तरीय पेयजल परीक्षण प्रयोगशालायें एन.ए.बी.एल. प्रमाणित हैं।
- एक करोड़ से अधिक परिवारों वाले 07 राज्यों क्रमशः उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तामिलनाडु मध्यप्रदेश एवं राजस्थान में मध्यप्रदेश की स्थिति :–

  वित्तीय वर्ष 2021–22 में केन्द्रांश+राज्यांश कुल व्यय करने में मध्यप्रदेश (रू. 3806.42 करोड़) द्वितीय स्थान पर है।
- हर घर जल उपलब्ध करने में मध्यप्रदेश (4,086 ग्राम) तीसरे स्थान पर है।
- मिशन के तेजी से क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के बजट को वर्ष 2021–22 में तीन गुना (रू. 5824 करोड़) किया गया।
- राज्यांश व्यय करने में मध्यप्रदेश (रू. 1803.56 करोड़) प्रथम स्थान पर है।
- इस वित्तीय वर्ष 2021–22 में देश में मध्यप्रदेश के द्वारा सबसे पहले प्रथम किश्त की द्वितीय ट्रांच राशि रू. 1274 करोड़ प्राप्त की है।
- देश में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में पहला राज्य है, जहॉ विभाग द्वारा द्वितीय किश्त की प्रथम ट्रांच की राशि रूपये 1279 करोड़ प्राप्त की गई है।

  इस प्रकार लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सतत् प्रयत्नशील है।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सिंगरौली जिले में पेयजल योजनाओं का शिलान्यास

माननीय राज्यमंत्री जी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जलजीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ''हर घर जल ग्राम'' के
ग्रामवासियों से माननीय राज्यमंत्री जी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का जनसंवाद

ग्राम सतपिपलिया, विकासखंड सीहोर, जिला सीहोर में
माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ''हर घर जल'' जन संवाद

ग्रामवासियों द्वारा FTK से जल गुणवत्ता का परीक्षण

लोक स्वास्थ्य यांँत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश